वार्षिक रिपोर्ट

1993-94

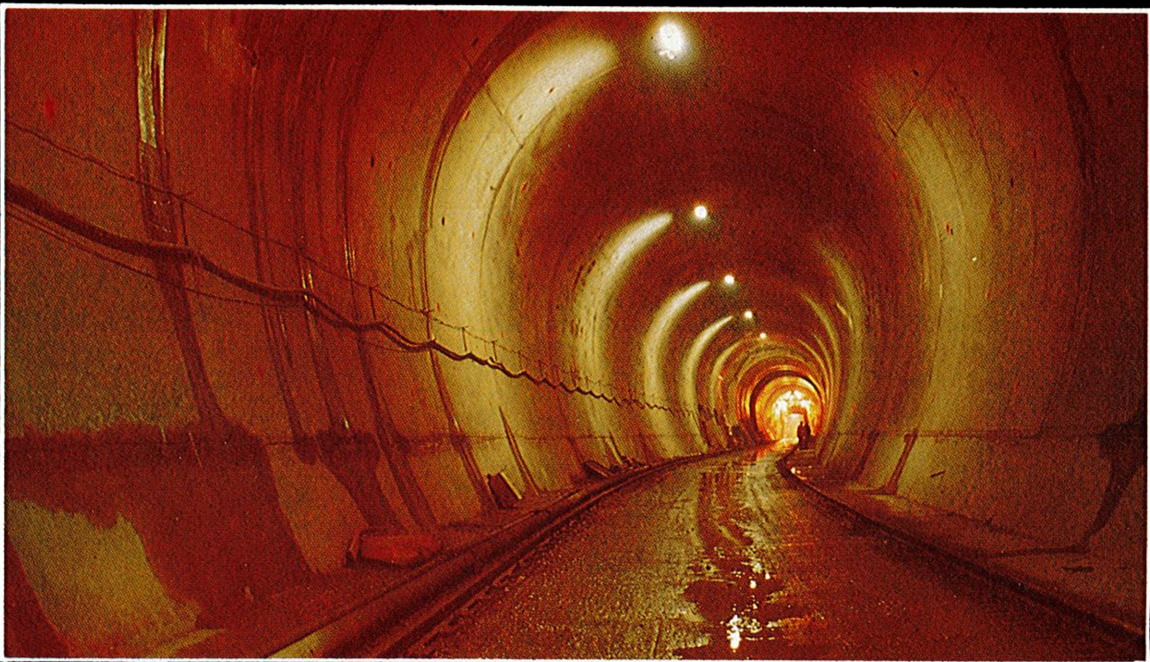

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

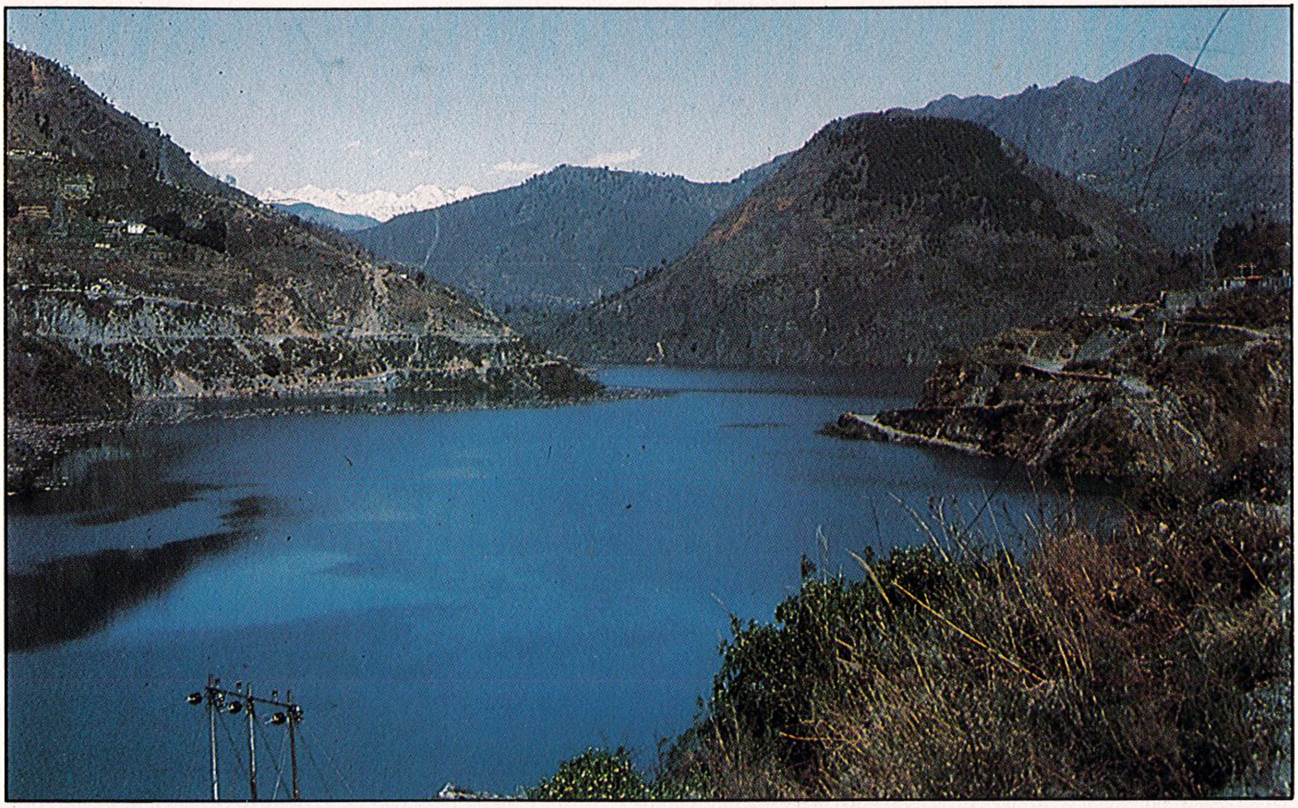

विषय सूची

निदेशक मंडल 2
कारपोरेट मिशन 3
उद्‌देश्य 4
वित्तीय व्यवस्थाए 5
समष्टि रूपरेखा 6
अध्यक्षीय भाषण 7
निदेशकों की रिपोर्ट 10
लेखे 22
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 40
भारत के नियंत्रक व
महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 44

निदेशक मंडल (30.09.1994 तक)

श्री अजय दुआ

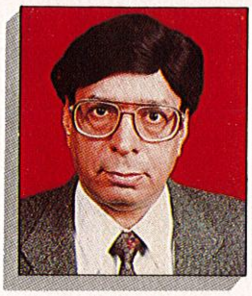

श्री के.के. वोहरा

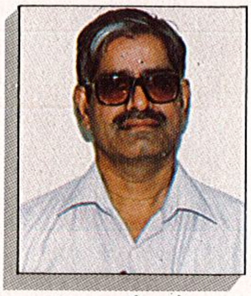

श्री ए.आई. बुनेट

कुमारी ई. डिवेटिया

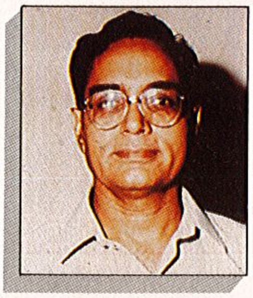

श्री टी. सेथुमाधवन

श्री एस.आर. नरसिम्हन

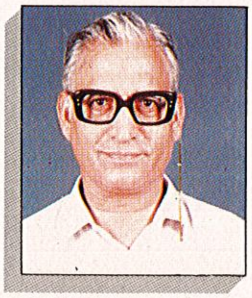

श्री ए.बी. जोशी

कम्पनी सचिव
श्री एन. सीतारमन

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स सुरेश चन्द्र एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
16, पश्चिम विहार एक्टेंशन्,
आर्डिनेंस डिपो के सामने,
नई दिल्ली-110063.

संयुक्त शाखा लेखापरीक्षकः
मैसर्स हिंगोरानी एम. एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
35, नेताजी सुभाष मार्ग,
दरियागंज,
नई दिल्ली-110002.

शाखा लेखापरीक्षक
मैसर्स डी.पी. सेन एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
8/2, किरन शंकर राय रोड़,
कलकत्ता-700001.

बैंकर्स
स्टेट बैंक आफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक
सिंडिकेट बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
इन्डियन ओवरसीज बैंक
देना बैंक
बैंक आफ भूटान

पंजीकृत कार्यालय : 'हेमकुन्ट टावर', 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019

कारपोरेट मिशन

एन.एच.पी.सी. का मिशन केन्द्रीय क्षेत्र में जल विद्युत के विकास की आयोजना, संवर्धन तथा समग्र दक्ष निष्पादन करना है। इसमें राष्ट्रीय नीति के अनुरूप जल विद्युत विकास के विभिन्न पहलू जैसे अन्वेषण, डिजाइन, निर्माण, संचालन व रखरखाव आदि शामिल हैं।

पावर हाउस का आन्तरिक दृश्य — बैरा स्यूल परियोजना

उद्देश्य

निर्माणाधीन सुरंग — उड़ी परियोजना

अधिक मात्रा में विद्युत निष्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीक और एकीकृत परियोजना प्रबंधन सिस्टम द्वारा निर्धारित समय व लागत पर देश में जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके जल विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाना।

विद्युत उत्पादन यूनिटों के संचालन व रखरखाव से सम्बंधित आधुनिक तरीकों को अपना कर यदि आवश्यक हो, तो यूनिटों का नवीकरण व आधुनिकीकरण करके संचालित विद्युत संयंत्रों का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करना।

कारपोरेशन की पूंजीगत तथा राजस्व खातों से सम्बंधित अपेक्षित निधि की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आन्तरिक संसाधन जुटाना।

देश की बदलती परिस्थितियों के अनुसार एक व्यापक सामूहिक योजना बनाना व स्थाई तौर पर उसे पुनः शुरू करना और विद्युत क्षेत्र में कारपोरेशन की एक सुव्यवस्थित छवि बनाने के लिए इसके कार्यान्वयन के लिए समुचित कार्रवाई करना। मानव संसाधन विकास के लिए सम्बंधित प्रशिक्षण पर आधारित उपयुक्त संगठनात्मक विकास की प्राप्ति।

देश के पावर मिक्स में जलीय भाग को बढ़ाने की दृष्टि से नदी-घाटियों में उपलब्ध जल विद्युत संसाधनों के अधिकतम विकास के लिए दीर्घकालीन संभाव्यता अध्ययनों को प्रारंभ करना।

देश व विदेशों में टर्नकी आधार पर निष्पादन सहित परियोजना अन्वेषण और परियोजना कार्यान्वयन के क्षेत्र में परामर्शी कार्य प्रारंभ करना।

पर्यावरण संरक्षण संबंधी विभिन्न उपायों को अपना कर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में पर्यावरण संबंधी जागरूकता अपनाना।

वित्तीय व्यवस्था

ऋण प्राप्त करके वाहृय संसाधनों में बढ़ोत्तरी और नई परियोजनाओं के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था, विस्तार तथा स्थापना के लिए आन्तरिक संसाधन जुटाना।

राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप कारपोरेशन की गतिविधियों में वांछित वृद्धि प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम दीर्घकालीन सामूहिक योजनाएं बनाना।

अधिकतम उपलब्धि तथा विद्युत उत्पादन के लिए निरन्तर प्रयास करना।

निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय तथा बिना किसी लागत वृद्धि के पूरा करना।

समष्टि रूपरेखा की एक झलक

वित्तीय

(रुपए लाखों में)

	1993-94	1992-93	1991-92	1990-91	1989-90
बिक्री व यातायात प्रभारें	23647	17890*	24394	22395	20987
विविध आय	218	532	2577	2354	132
ब्याज तथा मूल्यह्रास से पहले लाभ	17147	12436	16710	15989	13289
ब्याज तथा मूल्यह्रास के बाद लाभ	7054	4149	4930	5267	5242
लाभांश	500	—	—	—	—
आरक्षित अधिशेष संचयी	40325	33271	29122	24192	189825
कारपोरेशन का स्वामित्व					
सकल स्थिर परिसम्पत्तियां	160399	122933	148323	144232	128605
मूल्यह्रास	29124	26621	25174	20792	17508
शुद्ध स्थिर परिसम्पत्तियां	131275	96312	123149	123440	111097
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	314896	299404	269929	184833	125679
निर्माण भण्डार व पेशगियां	136818	102457	92703	73103	55754
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां	84012	63904	15373	31483	38990
विविध खर्च	456	313	—	4	142
जोड़	667430	562390	501154	412863	331662
कारपोरेशन की देनदारियां					
शुद्ध पूंजी —					
— हिस्सा पूंजी	283248	263248	232253	204533	153768
— आरक्षित	40325	33271	29122	24192	18925
— ऋण	343857	265871	239779	184138	158969
जोड़	667430	562390	501154	412863	331662

* ट्रांसमिशन लाइनें पावर ग्रिड को हस्तांतरित हो जाने के कारण बिक्री में कमी हुई है।

लागत वृद्धि विवरणी

(रुपए लाखों में)

	1993-94	1992-93	1991-92	1990-91	1989-90
बिक्री	23400	17609	24104	22111	20943
घटाएं:					
स्टोरें व अतिरिक्त पुर्जों की खपत	178	173	254	117	51
विद्युत खरीद	—	—	3865	3773	3847
लागत वृद्धि	23222	17436	19985	18221	17045

संचालन निष्पादन

	1993-94	1992-93	1991-92	1990-91	1989-90
विद्युत उत्पादन (मि.यू.)	3586.90	3474.00	3567.00	3617.45	3433.43
मशीन उपलब्धता (%)	84.66	87.43	90.18	83.22	87.49
बिक्री (करोड़ रुपए में)	234.00	176.09	241.04	221.11	209.43
जनशक्ति (संख्या)	12449	12952	13015	14944	14997

अध्यक्षीय भाषण

साथियो,

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एन.एच.पी.सी.) की 18वीं वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 1993-94 के लिए वित्तीय लेखे, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित निदेशकों की रिपोर्ट विचार व स्वीकार करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने पिछले वर्ष के 178.90 करोड़ रुपए के बिक्री कारोबार के स्थान पर इस वर्ष 236.47 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार किया जो 32.18% की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के 41.49 करोड़ रुपए के स्थान पर 70.54 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया। इस प्रकार निदेशकों ने 5 करोड़ रुपए के मेडन डिविडेंड की अदायगी शेयरधारकों को करने की सिफारिश की है।

कारपोरेशन बहुत उचित शर्तों पर बाजार से 600 करोड़ रुपए एकत्रित करने में सफल रही है। कारपोरेशन के लिए इस पूरी राशि पर 14.6% प्रतिवर्ष की औसत ऋण दरें रखी गई थी। देश में प्रमुख रेटिंग एजेंसी सी.आर.आई.एस.आई.एल. ने कारपोरेशन के कमर्शियल पेपर प्रोग्राम के लिए पी.एल.+ की उच्चतम रेटिंग प्रदान की थी।

वर्ष के दौरान संचालित विद्युत उत्पादन यूनिटों से 3586.9 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ। मैं लोकतक परियोजना के उत्पादन का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ। इस परियोजना में वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से 37% अधिक विद्युत उत्पादन हुआ। इस परियोजना के 1983 में संचालित होने के बाद से यह उच्चतम विद्युत उत्पादन है।

माननीय श्री एन.के.पी. साल्वे, विद्युत मंत्री, एन.एच.पी.सी. द्वारा प्रस्तुत मेडिन डिविडेन्ड चैक लेते हुए।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के अंत तक विभिन्न लाभभोक्ता राज्यों की तरफ एन.एच.पी.सी. के 250.80 करोड़ रुपए बकाया थे। एन.एच.पी.सी. को विद्युत मंत्रालय से भुगतान न करने वाले इन राज्यों को नियमित तौर से बिजली देते रहने की अनुमति हाल ही में प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने कारपोरेशन की 31.3.94 तक की देयताओं की दो महीने के औसत बिलिंग से अधिक राशि की वसूली केन्द्रीय अनुदान से करने की सहमति दे दी है।

विभिन्न क्षेत्रों में समुचित कार्रवाई करने से हमारे लाभ में बढ़ोत्तरी हुई है। कारपोरेशन ने चहुँमुखी आर्थिक उपायों को अपनाकर संचालन व रख-रखाव लागतों को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 16.3% तक कम करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। कारपोरेशन के स्टाफ में 600 से अधिक कार्मिकों की कमी लाई गई और इस प्रकार प्रशासनिक लागत को नियंत्रित किया गया था।

कारपोरेशन ने अपने ऋणों को भी कम किया जिसमें 141 करोड़ रुपए की राशि के "ए" सीरीज़ बांडों का पुनर्भुगतान शामिल है। इसके अतिरिक्त कारपोरेशन ने चमेरा परियोजना के ऋणों की 25-25 करोड़ रुपए की पहली दो किश्तों का भुगतान भी किया।

बांध स्थल — धौलीगंगा परियोजना

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-I की तीनों मशीनों को संचालित करने का भी उल्लेखनीय कार्य किया गया था। यह कारपोरेशन की सबसे बड़ी परियोजना है और इस प्रकार देश में 180-180 मेगावाट की विशाल जल-विद्युत यूनिटों की परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने का श्रेय एच.एच.पी.सी. को जाता है। चालू वर्ष के पहले पांच महीनों के दौरान ही परियोजना में लक्ष्य से अधिक विद्युत उत्पादन हुआ। इस परियोजना से पैदा की गई बिजली विभिन्न लाभभोक्ता राज्यों को दी गई जिनमें दिल्ली भी शामिल है। इससे भीषण गर्मी के महीनों में दिल्ली की अतिरिक्त विद्युत आवश्यकता को भी पूरा किया गया था। कारपोरेशन सलाल जल-विद्युत परियोजना की 115 मेगावाट की एक और यूनिट संचालित करने में भी सफल रही है। इसके फलस्वरूप वर्ष के दौरान कारपोरेशन की विद्युत क्षमता में 883 मेगावाट से 1538 मेगावाट की बढ़ोत्तरी हुई है। इससे राजस्व तथा कारपोरेशन के लाभ पर दूरगामी लाभकारी प्रभाव पड़े हैं।

वर्ष के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण कार्य को भी कारपोरेशन ने आगे बढ़ाया है। कश्मीर घाटी में 480 मेगावाट की उड़ी परियोजना के निर्माण कार्य को प्रभावित करने वाली विभिन्न अनुबंधीय और अन्य समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने के बाद कारपोरेशन ने अधिकतम सीमा तक निर्माण कार्य आगे बढ़ाया है। लेकिन 390 मेगावाट की दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य स्थगित पड़ा रहा। इस परियोजना का निर्माण कार्य पुनः शुरू करने के लिए प्रबंधवर्ग ने फ्रेंच कंसोर्टियम और फ्रांस सरकार से बातचीत करने के अथक प्रयास किए। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन प्रयासों के फलस्वरूप निर्माण कार्य पुनः शुरू करने के लिए एन.एच.पी.सी. और फ्रेंच कंसोर्टियम के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सिक्किम में रंगित जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में भी तेजी लाई गई थी।

मैं इस अवसर पर यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि भूटान में 45 मेगावाट की कुरिचू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए निष्पादन एजेंसी के तौर पर कारपोरेशन का चयन किया गया है। कारपोरेशन दशक से भी अधिक समय के अंतराल के बाद विदेश में परियोजना स्थापित करने जा रही है। इसके लिए एन.एच.पी.सी. और कुरिचू परियोजना प्राधिकरण के बीच औपचारिक करार पर जल्दी ही हस्ताक्षर होने की आशा है।

विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारी के आगमन से कारपोरेशन के पास उपलब्ध विशाल तकनीकी विशेषज्ञता और अधिक दक्ष जनशक्ति को अधिक उपयोगिता के साथ काम में लाने के अवसर प्राप्त हो गये हैं। इस कार्य के लिए एक परामर्शी खण्ड खोला गया है जिसका परिणाम

प्रथम अन्तर-विद्युत क्षेत्र हाकी टूर्नामेंट की झलक

उत्साहजनक रहा है। सरकार से अनुमति मिलने की शर्त के अधीन कारपोरेशन का निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए एक नया खण्ड खोलने का भी विचार है।

कारपोरेशन के पास अतिरिक्त जनशक्ति का भी मामला है। इसके लिए कारपोरेशन ने भारत सरकार के विचारार्थ एक अति उदार स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना पेश कर दी है। प्रबंधवर्ग कारपोरेशन के कर्मचारियों को बाहर रोज़गार लेने पर दो वर्ष का लियन रखने की अनुमति देने के लिए भी सहमत हो गया है।

कारपोरेशन का मुख्यालय अब फरीदाबाद में स्थानांतरित हो चुका है जहाँ एक आधुनिक कार्यालय परिसर का निर्माण किया गया है। कारपोरेशन ने कारपोरेट कार्यालय में स्टाफ कम करके विभिन्न परियोजनाओं में विनियोजित करने के लिए कदम उठाए हैं। कारपोरेशन ने बेहतर पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने की दृष्टि व निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के साथ-साथ शीघ्रता से निर्णय लेने और प्राधिकारों के विशाल विकेंद्रीयकरण के लिए बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों को परियोजनाओं और क्षेत्रीय मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया है।

मैं निदेशकों/प्रबंधवर्ग और एन.एच.पी.सी. के स्टाफ की ओर से विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय श्री एन.के.पी. साल्वे, केंद्रीय विद्युत मंत्री व श्री आर. वासुदेवन, सचिव, विद्युत मंत्रालय के समय-समय पर दिए गए मल्यवान मार्गदर्शन के लिए मैं विशेष रूप से आभर व्यक्त करता हूँ।

मैं इस अवसर पर वर्ष के दौरान एन.एच.पी.सी. के कर्मचारियों की निष्ठापूर्वक तथा समर्पण की भावना से विभिन्न स्तरों पर किए गए कार्यों की भी सराहना करता हूँ जिससे कारपोरेशन चहुँमुखी कार्य निष्पादन में समर्थ हुई है।

(अजय दुआ)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

30 सितम्बर, 1994

निदेशकों की रिपोर्ट

वर्ष 1993-94 के लिए हिस्सेदारों की सेवा में

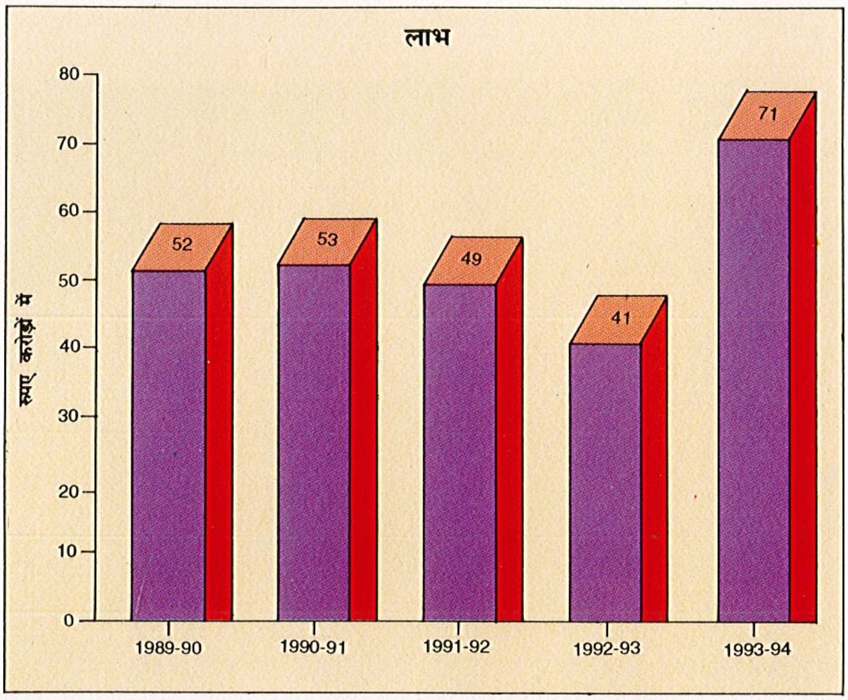

मैं निदेशकों की ओर से एन.एच.पी.सी. के कार्यकलापों की 31.3.1994 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित 18वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

वित्तीय निष्पादन :

2. कारपोरेशन ने पिछले वर्ष के 41.49 करोड़ रुपए की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 70.54 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इस प्रकार निदेशकों ने 5 करोड़ रुपए के मैडन डिविडेंड की अदायगी शेयर धारकों को करने की सिफारिश की है।

3. कारपोरेशन के कुल बिक्री कारोबार में वर्ष के दौरान 32.18% की वृद्धि हुई जो अब 178.90 करोड़ रुपए से बढ़कर 236.47 करोड़ रुपए हो गई। चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-I, (540 मेगावाट) तथा सलाल परियोजना की नई 115 मेगावाट यूनिट के संचालित हो जाने पर हम आशा करते हैं कि अगले वर्ष यह राजस्व दुगना हो जायेगा। परियोजनाओं के लिए दर निर्धारण गतिविधियां फिलहाल विचाराधीन हैं और इस कार्य के शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है। यद्यपि वर्ष के दौरान राजस्व में वृद्धि हुई है और आगामी वर्षों में इसमें और अधिक वृद्धि होने की आशा है। राज्य बिजली बोर्डों से वसूली में लगातार बाधाएं आ रही हैं हालांकि बकाया राशि को कम करने के लिए विभिन्न स्तर पर काफी ठोस कदम उठाए गए हैं। वर्ष 1993-94 के अन्त तक राज्यों की ओर बकाया राशि 250.80 करोड़ रुपए थी। कारपोरेशन ने ऊर्जा मंत्रालय से अनुरोध किया था कि भुगतान न करने वाले राज्यों को नियमित तौर पर बिजली देने का प्राधिकार कारपोरेशन को सौंप दिया जाए। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों पर अपेक्षित स्तर तक लैटर ऑफ क्रेडिट खोलने पर जोर दिया जा रहा है। अत्यधिक बकाया राशियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कारपोरेशन की 31.3.94 तक की देयताओं की 2 महीने के औसत बिलिंग से अधिक राशि की केन्द्रीय अनुदान में से वसूली करने की सहमति दे दी है।

4. कारपोरेशन का लाभांश वर्ष के दौरान सार्थक रूप से बढ़ा है। ऐसा विभिन्न स्तरों पर किए गए सामूहिक प्रयासों से संभव हो सका है। इसमें क्षमता संवर्धन के अलावा मानव संसाधन की संख्या में कमी, प्रशासनिक लागत को नियंत्रित करके तथा परियोजनाओं पर रख-रखाव व लागतों में कमी करके समस्त खर्च को कम किया गया था। मैं आपका ध्यान विशेष तौर पर एक उल्लेखनीय उपलब्धि की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जो संचालन व रख-रखाव के क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान इन लागतों में 16.3% की कमी दर्शाती है। यह उपलब्धि चहुँमुखी आर्थिक उपायों से ही संभव हुई है। अगले वर्ष लाभांश स्तर के बढ़ने की आशा है जिससे कारपोरेशन महत्वपूर्ण अत्यधिक आंतरिक संसाधन जुटाने में समर्थ होगी। इसके परिणामस्वरूप कारपोरेशन के निदेशकों ने 5 करोड़ रुपए के डिविडेंड की अदायगी शेयरधारकों को करने की सिफारिश की है। यह कारपोरेशन के कार्यों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम आशा करते हैं कि आगामी वर्षों में हम इसको बनाए रखने में सक्षम होंगे।

5. कारपोरेशन अत्यधिक आंतरिक संसाधनों को एकत्रित करने के साथ-साथ बाजार से पूंजी एकत्र करने में सफल रही है, जिससे कारपोरेशन अपनी विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं, विशेष रूप से चमेरा व सलाल परियोजनाओं की निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने में समर्थ हुई। कारपोरेशन को बाजार से 600 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी प्राप्त हुई थी जिसे जुटाने में भी कारपोरेशन सफल रही है। वास्तव में जिन शर्तों के अधीन बाजार से इस ऋण की व्यवस्था की जानी थी वे बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक थी और इसमें पूंजी बाजार से धन जुटाने वाले अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित विद्युत मंत्रालय के अधीन अन्य उपक्रम भी शामिल थे। कारपोरेशन ने 100 करोड़ रुपए के कर मुक्त बॉण्ड 10.5% वार्षिक ब्याज निर्धारित दरों पर तथा शेष 500 करोड़ रुपए वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधार लिए थे। इस पूरी राशि के लिए औसत उधार की दर 14.6% वार्षिक थी। देश में प्रमुख रेटिंग एजेंसी सी.आर.आई.एस.आई.एल. ने कारपोरेशन के कॉमर्शियल पेपर बोरोइंग प्रोग्राम के लिए पी.एल.+ की उच्चतम रेटिंग प्रदान की थी। ये गतिविधियां कारपोरेशन के उज्ज्वल भविष्य के शुभ लक्षण हैं।

6. कारपोरेशन ने वर्ष 1993-94 के दौरान अब तक का सबसे अधिक लाभ अर्जित किया और नई परियोजनाओं पर वर्ष के दौरान अधिकतम निवेश किया। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कारपोरेशन अपने ऋणों को कम करने में सफल हुई है जिसमें 141 करोड़ रुपए की

पावरहाउस — लोकतक परियोजना

राशि के "ए" सीरीज़ बॉण्डों का पुनर्भुगतान शामिल है। इसके अलावा कारपोरेशन ने वर्ष के दौरान चमेरा चरण-I परियोजना के ऋणों की 25-25 करोड़ रुपए की पहली दो किश्तों का भुगतान भी किया है।

वास्तविक कार्य निष्पादन :

7. कारपोरेशन की विभिन्न संचालित परियोजनाओं से वर्ष के दौरान 3586.90 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ। इसमें 400.39 मिलियन यूनिट टनकपुर, 1959.58 मिलियन यूनिट सलाल, 609.01 मिलियन यूनिट बैरास्यूल तथा 617.07 मिलियन यूनिट लोकतक परियोजनाओं द्वारा किया गया विद्युत उत्पादन शामिल है। दिनांक 1.4.93 से टनकपुर परियोजना पर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया गया था। यहां लोकतक परियोजना का विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि इस परियोजना पर पिछले वर्षों के कार्य निष्पादन से अधिक उत्पादन हुआ और यह विद्युत उत्पादन इस वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा कारपोरेशन के प्रबंधकों द्वारा इस परियोजना के लिए रखे गए उत्पादन लक्ष्य से 37% अधिक रहा था। उत्पादन का यह स्तर परियोजना के संचालन वर्ष 1983 से अब तक का सबसे अधिक है। टनकपुर परियोजना में पावर चैनल के रिसाव को कारगर ढंग से रोकने के फलस्वरूप परियोजना के विद्युत उत्पादन में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है और अब पावर हाउस को अपने अधिकतम स्तर पर संचालित किया जा सकता है।

8. कारपोरेशन को सलाल परियोजना से विद्युत उत्पादन बढ़ाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि यहां पर जलाशय में वर्षों से सिल्ट जमा होती आ रही है। अतः कुछ समय के लिए पावर हाउस को बंद करना पड़ा ताकि जनरेटिंग सैटों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँच पाये। बैरास्यूल परियोजना के विद्युत उत्पादन को कुछ दिनों के लिए कम करना पड़ा क्योंकि इस परियोजना के निकासी उपायों में कुछ बाधा पड़ी थी जो इस कारपोरेशन से संबंधित नहीं थी।

9. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने चमेरा चरण-I परियोजना की तीनों यूनिटों को सफलतापूर्वक संचालित कर दिया था। यह कार्य प्रबंधवर्ग की ओर से उठाए गए कारगर कदम और परियोजना स्तर पर समर्पित टीम भावना के कारण यह संभव हो सका है। यह इस कारपोरेशन द्वारा अब तक पूरी की गई परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना है। चमेरा चरण-I परियोजना के संचालित होने से

निर्माणाधीन पैनस्टाक — उड़ी परियोजना

कारपोरेशन देश में जल विद्युत परियोजनाओं की इस स्तर की बड़ी यूनिट संचालित करने का रिकार्ड पार कर चुकी है। परियोजना में बहुत बड़ा भूमिगत कार्य और आधुनिक निर्माण उपस्करों से कार्य किये जाने थे। इस परियोजना से वाणिज्यिक उत्पादन का लाभ वर्ष 1994-95 के दौरान उपलब्ध होगा और इससे कारपोरेशन उत्तरी ग्रिड में विद्युत आपूर्ति में और अधिक योगदान दे सकेगी।

10. वर्ष के दौरान कश्मीर घाटी में 480 मेगावाट की उड़ी जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में सार्थक रूप से तेजी लाई गई। निर्माण कार्य को प्रभावित करने वाली विभिन्न अनुबंधीय और अन्य समस्याओं का समाधान किया गया। फलस्वरूप ठेकेदारों को कार्य की प्रगति में सफलता मिली। वर्ष के दौरान टनल का 16 कि.मी. खुदाई कार्य पूरा किया गया जिससे अभी तक की अधिकतम मासिक खुदाई दर प्राप्त करने

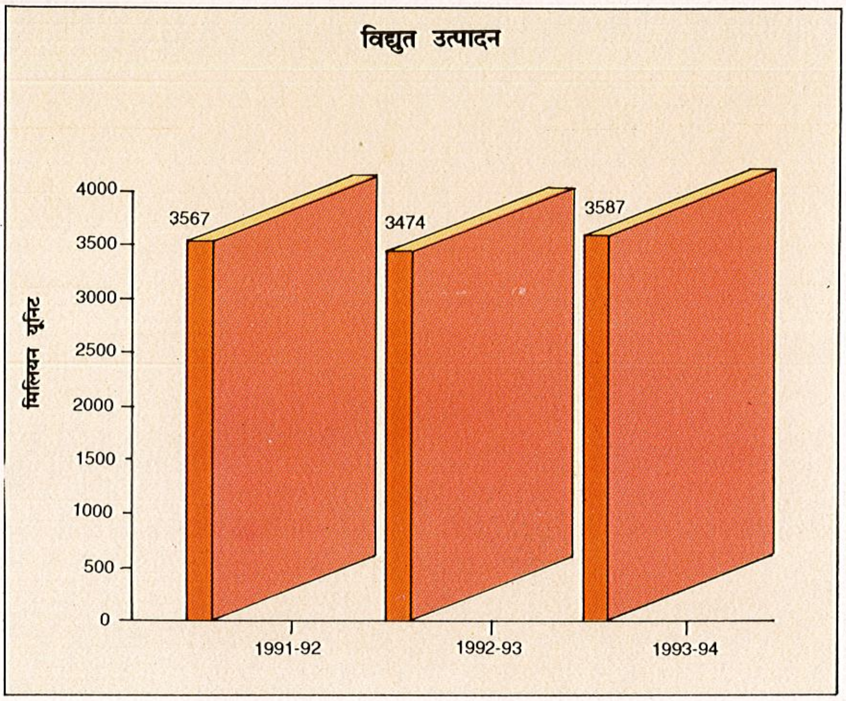

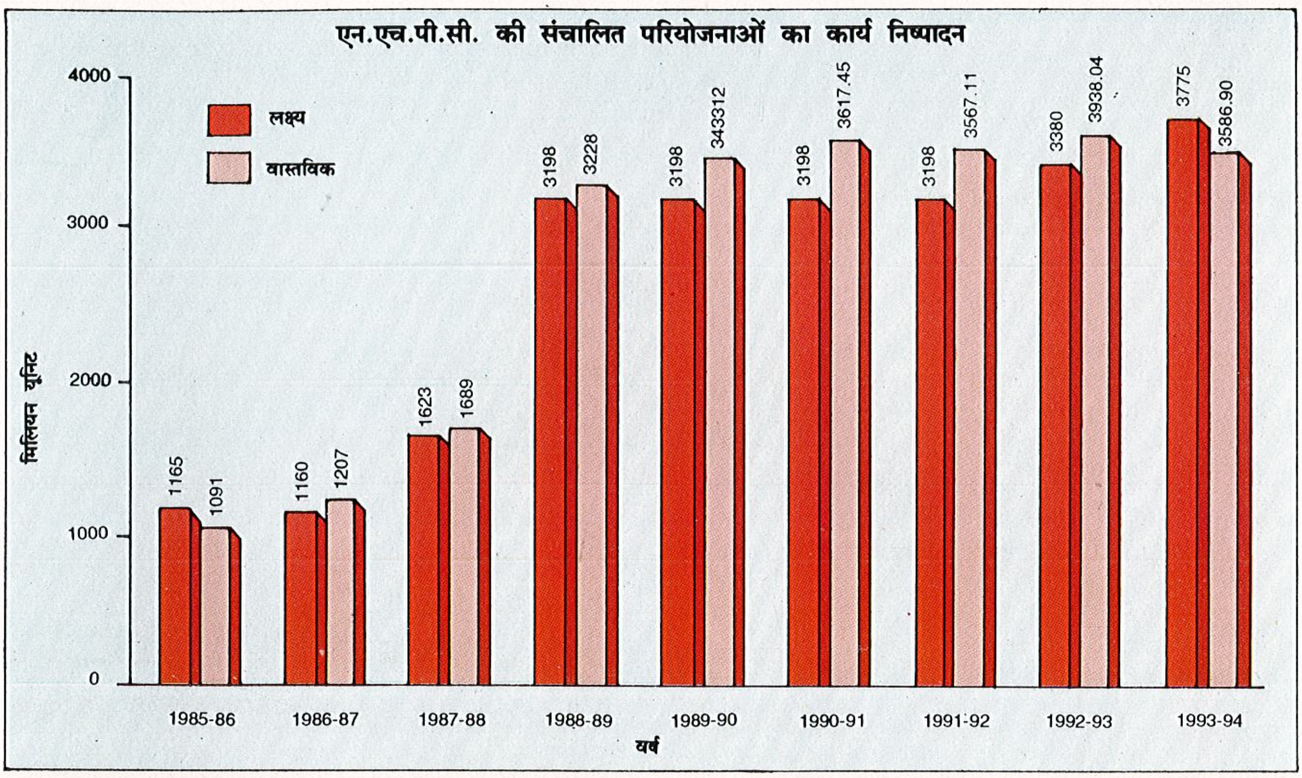

में सफलता मिली और परियोजना कार्यान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रारंभिक समस्याओं के कारण हुई देरी को कम करने के सफल प्रयास किए गए। इस परियोजना के आठवीं योजना अवधि के दौरान चालू हो जाने की आशा है।

11. जम्मू कश्मीर में 390 मेगावाट की दुलहस्ती परियोजना का कार्य अभी भी स्थगित है। फर्मों के फ्रेंच कंसोर्टियम तथा फ्रांस सरकार से कार्य शीघ्र शुरू कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत की गई थी। वर्ष के दौरान किए गए प्रयास के परिणामस्वरूप इस कार्य को पुनः आरम्भ करने के लिए कार्य योजना संबंधी अस्थायी समझौता करने में कारपोरेशन को सफलता मिली है।

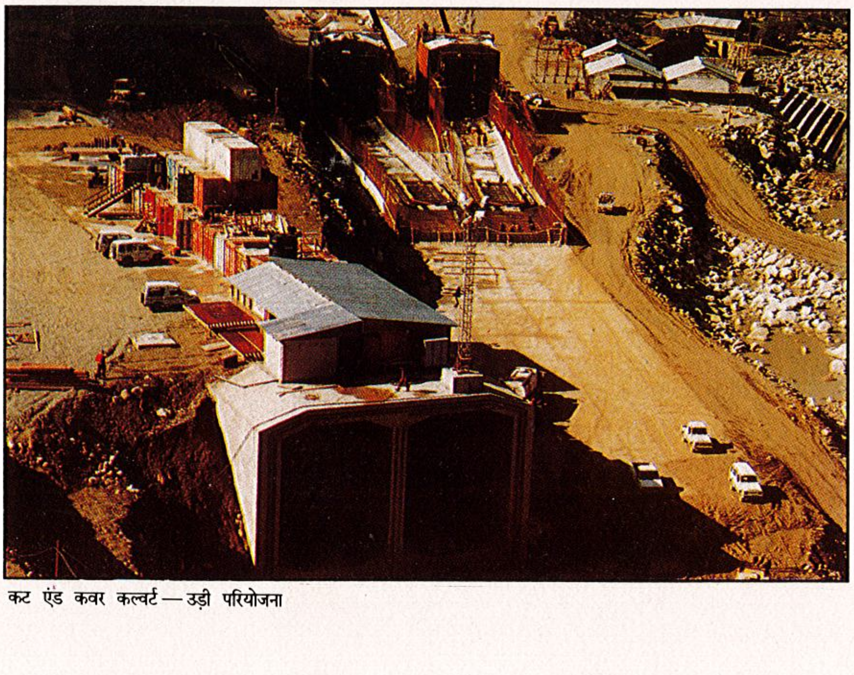

कट एंड कवर कल्वर्ट — उड़ी परियोजना

12. सिक्किम में रंगित परियोजना का कार्य जो विभिन्न कारणों से रुका पड़ा था अब शुरू किया जा रहा है। कारपोरेशन द्वारा बनायी जाने वाली सिक्किम राज्य की यह महत्वपूर्ण परियोजना है और इससे पूर्वी ग्रिड में लम्बी अवधि के लिए हाइड्रो-थर्मल मिश्रित विद्युत में सुधार होगा जिससे सिक्किम राज्य की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेगी।

13. फरवरी, 1994 में भारत सरकार तथा भूटान की शाही सरकारों के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप कारपोरेशन को पूर्वी भूटान में 45 मेगावाट की कुरिचु जल विद्युत परियोजना का निष्पादन कार्य सौंपा गया था। इस परियोजना का निर्माण पूर्वी भूटान की बढ़ी हुई विद्युत आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जायेगा और अतिरिक्त विद्युत भारत को प्राप्त होगी। इस परियोजना के निर्माण के लिए कारपोरेशन कुरिचु परियोजना प्राधिकारियों से औपचारिक समझौते

सलाल कंक्रीट बांध

पर हस्ताक्षर कराने के लिए प्रयासरत है। यह एक गौरव की बात है कि कारपोरेशन एक बार फिर एक दशक के अन्तराल के बाद देश के बाहर किसी परियोजना का निर्माण शुरू करने जा रही है। दोनों सरकारों ने कारपोरेशन के कार्य में विश्वास व्यक्त किया है। जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के क्षेत्र में कारपोरेशन के तकनीकी तथा प्रबंधकीय क्षमता, समग्र दक्षता की पहचान बनानें तथा व्यावसायिक तौर पर मानदण्डों को अपनाते हुए यह कारपोरेशन की परख का समय है।

14. कारपोरेशन में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता की अन्य क्षेत्रों में भागीदारी और कारपोरेशन की जन शक्ति के प्रभावी उपयोग को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान कारपोरेशन में एक परामर्शी विभाग की स्थापना की गई थी। कारपोरेशन में जल विद्युत विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे अनुसंधान, डिज़ाइन, निर्माण व संचालन आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी, प्रशिक्षित, दक्ष इंजीनियरों की एक बड़ी टीम उपलब्ध है। विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारों को आमंत्रित करने के साथ-साथ इस प्रकार की विशेषज्ञता की मांग में वृद्धि हुई है जो कि वर्षों से कारपोरेशन के पास उपलब्ध है। हम आशा करते हैं कि आगामी वर्षों में निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास की दिशा में कारपोरेशन एक परामर्शी के रूप में अपना स्थान बना लेगी।

15. कारपोरेशन ने पर्यावरण संरक्षण की ओर निरन्तर ध्यान दिया है और देश की प्राकृतिक सम्पदा को बढ़ावा दिया है। इस नीति के अन्तर्गत विभिन्न पर्यावरणीय तथा वनस्पतिक नियमों का पालन करते हुए कारपोरेशन ने विस्तृत वनरोपण कार्यक्रम बनाया है। कारपोरेशन ने अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं पर कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट योजना को अपनाया है और बहुत सी भूमि को ऐच्छिक तथा क्षतिपूरक वनरोपण के लिए अधिगृहित किया है। कारपोरेशन ने वर्षों से लगभग 72 लाख पेड़ लगाए हैं इसमें से लगभग 38 लाख पौधे केवल चमेरा जल विद्युत परियोजना में लगाए गए हैं।

tection and promote the natural

16. लाभकारी पर्यावरण के विकास के अतिरिक्त कारपोरेशन ने ऊर्जा संरक्षण को भी विशेष महत्व दिया है। यह पद्धति हमारी निर्माणाधीन तथा संचालित परियोजनाओं पर अपनाई जा रही है। कारपोरेशन ने अपने कर्मचारियों में जागरूकता लाने की दृष्टि से ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन भी किया है। इस दौरान उन्हें तेल के बेहतर उपयोग, निर्माण के दौरान विद्युत उपभोग तथा अतिरिक्त विद्युत खपत में कमी का प्रशिक्षण दिया गया। इस सप्ताह के दौरान इस संबंध में सेमीनार तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं।

मानव संसाधन :

17. कारपोरेशन ने वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है। प्रबंधवर्ग ने कारपोरेट कार्यालय से स्टाफ को कम करके उन्हें विभिन्न परियोजनाओं पर तैनात किया है ताकि परियोजनाओं पर निर्माण गतिविधियों में तेजी लाई जा सके और बेहतर पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके। इस दिशा में, विभिन्न वरिष्ठ पदों को मुख्यालय से परियोजना तथा क्षेत्रीय मुख्यालयों में वितरित किया गया है। आशा है कि इससे बेहतर पर्यवेक्षण होगा तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा किया जा सकेगा। यह शीघ्र निर्णय लेने तथा प्राधिकारों के विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक अग्रणीय कदम है। प्रबंधवर्ग ने मुख्यालय और परियोजनाओं के बीच बारी-बारी से स्टाफ की अदला-बदली की पद्धति भी अपनाई है और इसके अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर मुख्यालय से परियोजनाओं में बहुत से स्थानांतरण किए गए थे।

18. कारपोरेशन के मुख्यालय को दिल्ली से फरीदाबाद, हरियाणा में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था, जहां कारपोरेशन ने एक भव्य तथा आधुनिक भवन का निर्माण किया है। कारपोरेशन उन कुछ कारपोरेशनों में से एक है जिन्होंने अपना मुख्यालय सरकारी निर्णयों का अनुपालन करते हुए दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया है। एक ही छत के नीचे होने से यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी कि आपसी तालमेल में सुधार होगा और स्टाफ के बीच और अधिक सहयोग की भावना विकसित होगी।

19. अतिरिक्त स्टाफ के स्तर को कम करने की दृष्टि से कारपोरेशन में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत

श्री सत्यप्रकाश श्रमवीर पुरस्कार प्राप्त करते हुए

366 कर्मचारी लाभान्वित हो चुके हैं और इस योजना को आगामी वर्षों में भी जारी रखने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और साथ-साथ इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ में भी वृद्धि का प्रस्ताव है। कारपोरेशन की कर्मचारी संख्या को कम करने के उद्देश्य से प्रबंधवर्ग ने कर्मचारियों को कारपोरेशन से बाहर 2 वर्ष के लियन पर रोजगार का लाभ उठाने के लिए सहमति दे दी है।

20. कारपोरेशन नई भर्ती के मामले में अत्यन्त सजग रही है और बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में वापस भेजा जा रहा है। कर्मचारियों की नई भर्ती से बचाव के लिए वर्तमान कर्मचारियों को निरन्तर ट्रेनिंग दी जा रही है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों के प्रशिक्षण व विकास के लिए 4929 मानव दिवस उपयोग में लाये गये। आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में स्टाफ को मनोनीत किया गया। साथ ही अन्य व्यावसायिक संगठनों द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रमों में भी कर्मचारियों ने भाग लिया। तकनीकी हस्तांतरण, कार्य-प्रशिक्षण के लिए काफी स्टाफ को विदेशों में भी भेजा गया।

21. लोकतक परियोजना में कार्यरत एक कर्मचारी, श्री सत्यप्रकाश को प्रधानमंत्री के श्रमवीरं पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पहला अवसर है जब कि हमारी कारपोरेशन के किसी कर्मचारी को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान प्रदान किया गया है।

22. कारपोरेशन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण संबंधी राष्ट्रपति के निर्देशों का निरन्तर पालन कर रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति उम्मीदवारों का चयन करते समय कारपोरेशन की नीतियों के अनुरूप वांछित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार रियायतें दी जाती हैं। चयन किए गए उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की बहुत सी रिक्तियां बकाया हैं।

राजभाषा

23. प्रबंधवर्ग कारपोरेट कार्यालय तथा विभिन्न परियोजनाओं में राजभाषा हिन्दी की प्रगति के लिए निरन्तर प्रयासरत है। कार्यालय में राजभाषा की प्रगति के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं तथा कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। विजेता उम्मीदवारों तथा अन्य योग्य कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र आदि भी वितरित किए गए हैं। इम्फाल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा राजभाषा में उल्लेखनीय कार्य के लिए हमारी लोकतक जल विद्युत परियोजना को

एक चल शील्ड प्रदान की गई है।

24. कारपोरेशन की सतर्कता गतिविधियों को अत्यधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से कार्यपालक निदेशक स्तर के एक मुख्य सतर्कता अधिकारी को भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है। विशेष तौर पर दूर-दराज के परियोजना क्षेत्रों में सतर्कता गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए परियोजनाओं पर सतर्कता अधिकारियों को मनोनीत किया जा रहा है। इस कार्य के लिए विभिन्न सरकारी एन्फोर्समेंट संगठनों से भी सम्पर्क किया गया है।

एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर फरीदाबाद

निदेशक मण्डल :

25. कारपोरेशन के निदेशक मण्डल में अंशकालीन निदेशक के तौर शामिल श्री वी.के. दीवान दिनांक 29.6.1994 से निदेशक मण्डल में नहीं रहे हैं। प्रबंधवर्ग श्री दीवान की निदेशक के तौर पर की गई बहुमूल्य सेवाओं की प्रशंसा करता है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट :

26. कारपोरेशन के विभिन्न कार्यों को दर्शाने वाली लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूची 14 में दी गई है। इसमें विभिन्न नोट तथा उनके स्वतः स्पष्ट उत्तर भी शामिल हैं। उड़ी परियोजना से संबंधित समाधान, असामान्य परिस्थितियां होने के कारण, नहीं किया जा सका है। पेशगियों, ठेकेदारों को पेशगी, विभिन्न देनदारियां आदि सांविधिक तौर पर की जा रही हैं और इस संबंध में पाई गई विसंगतियां समायोजित की जा रही हैं।

कारपोरेशन के पास कोई कच्चा माल नहीं है।

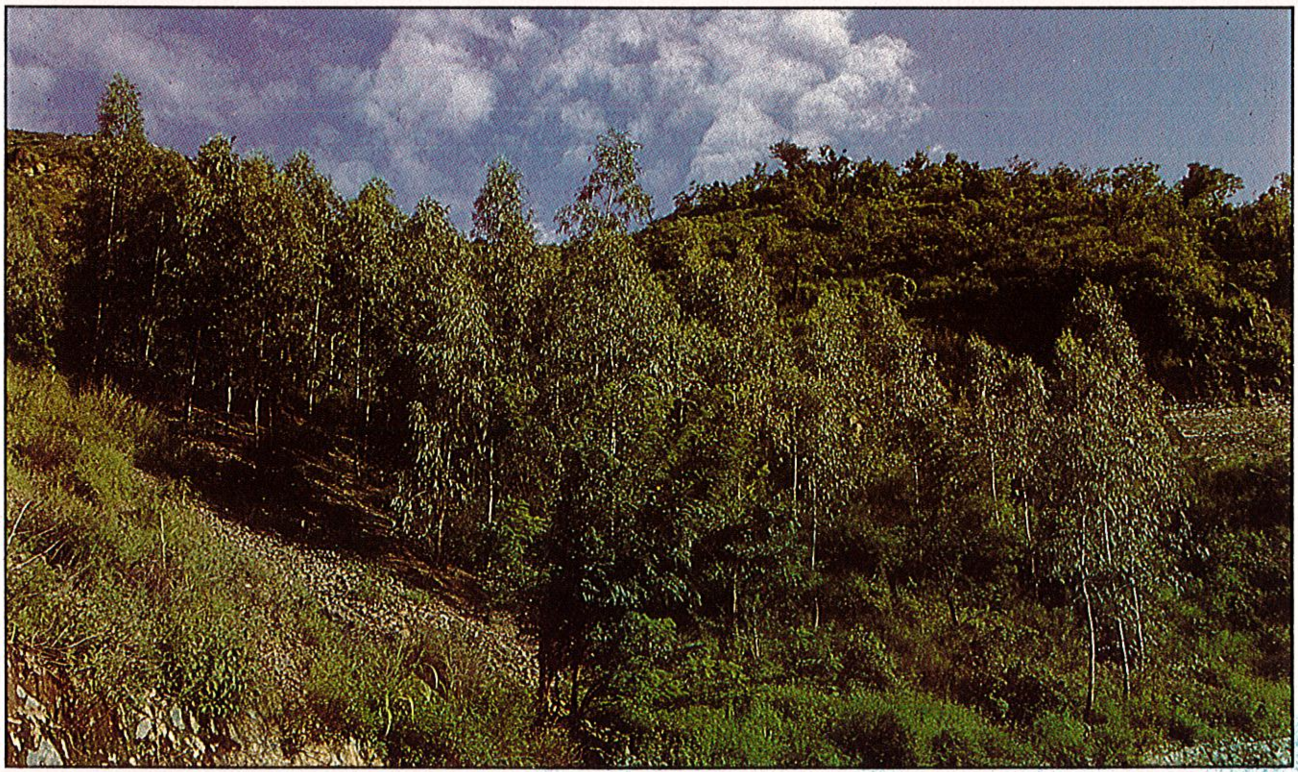

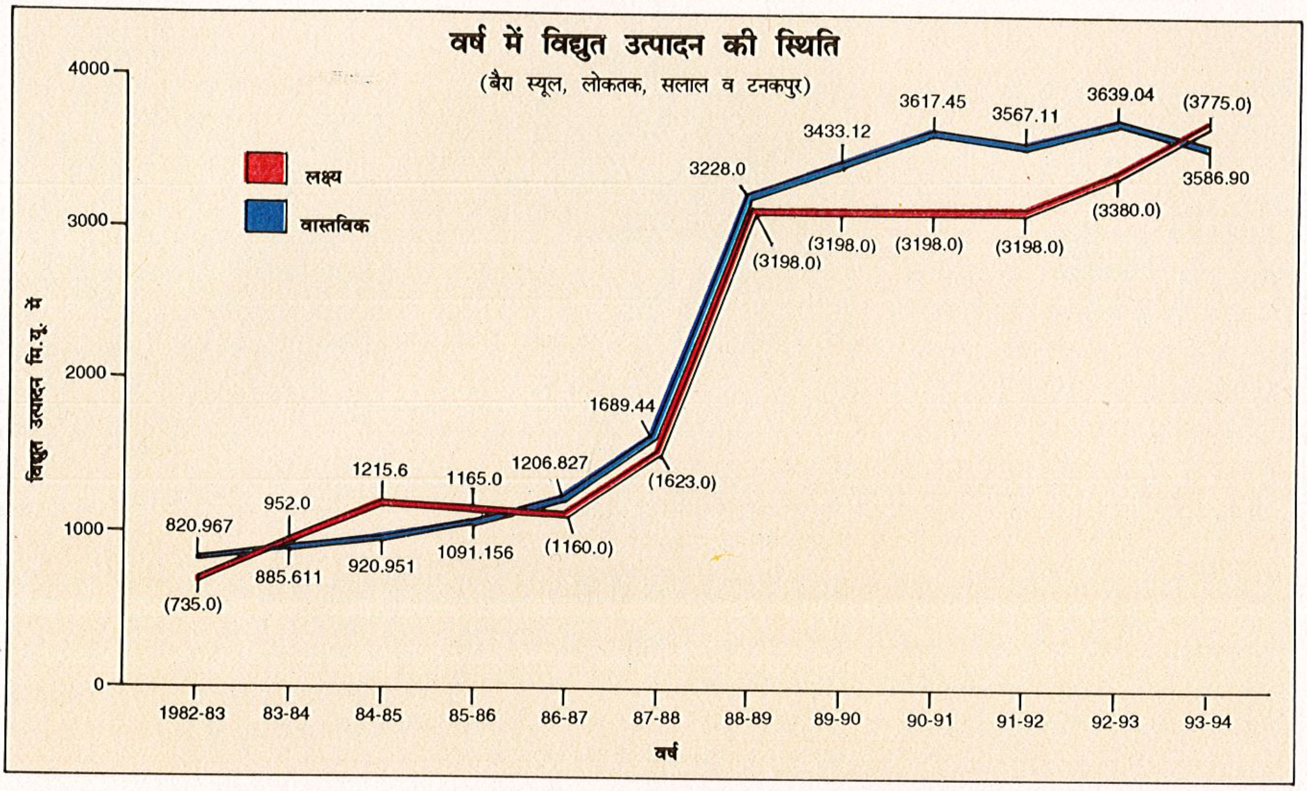

फिर भी, अयोग्य/क्षतिग्रस्त स्टोरों आदि की आवधिक पहचान की जाती है और इन मदों के निपटान/समायोजना संबंधी उचित कार्रवाई की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र और दायरा बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और इसे कारपोरेशन के आकार और कार्यों को देखते हुए सुदृढ़ और वृहत्त करने के लिए भी कार्य प्रगति पर है। भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर निदेशकों के उत्तर अनुबंध-। में दिए गए हैं।

31 मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष के लिए कारपोरेशन के लेखों की भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा की गई समीक्षा इस रिपोर्ट के अनुबंध-।। में दी गई है।

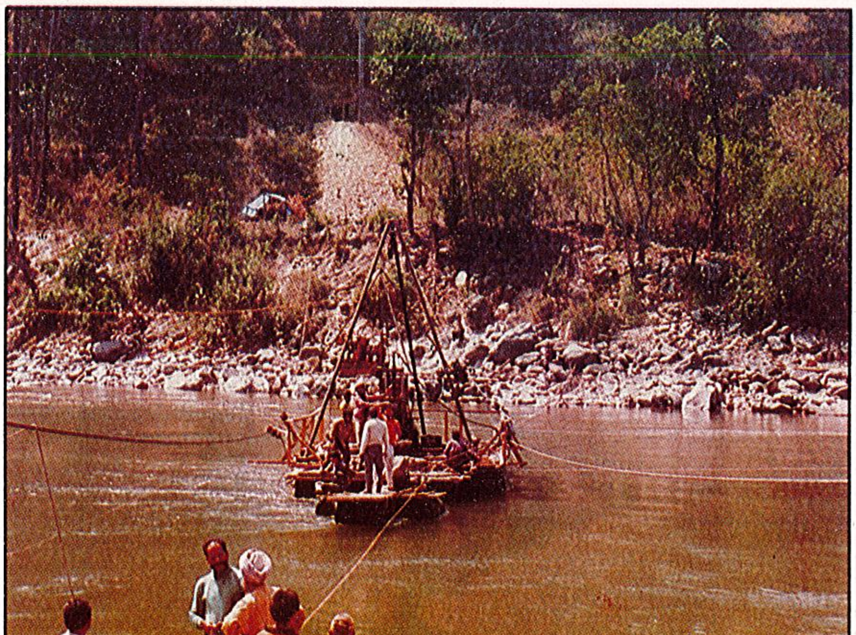

अन्वेषण कार्य प्रगति पर — कुरिचु परियोजना

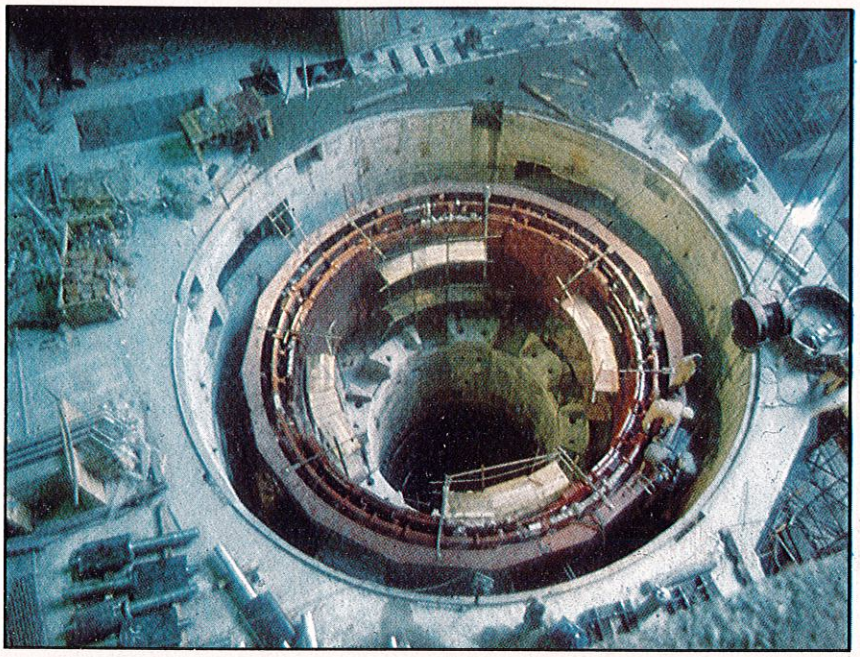

निर्माणाधीन यूनिट-6 — सलाल

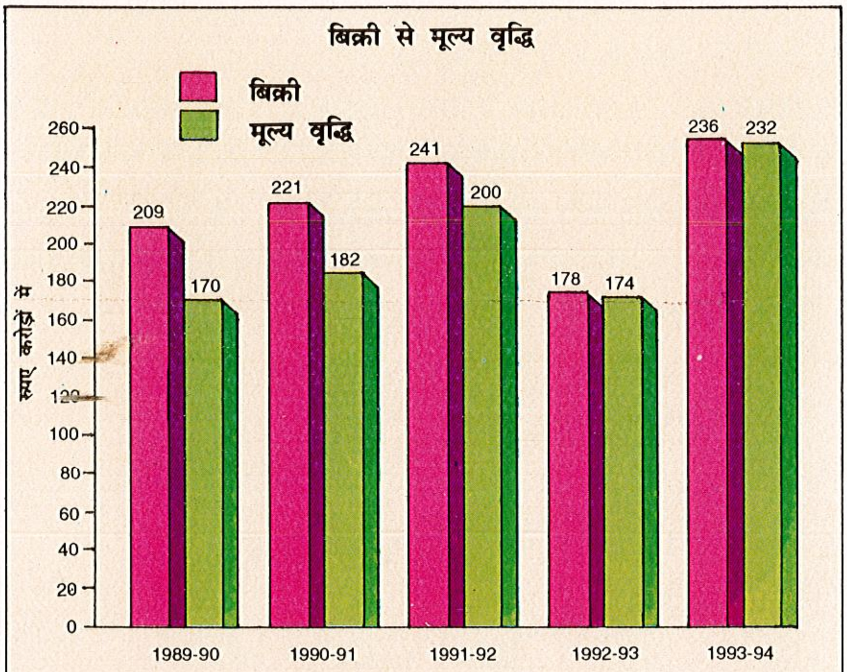

कर्मचारियों का विवरण :

27. कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अनुसार सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध-III में दी गई है।

आभार :

28. बोर्ड, सरकारी प्राधिकरणों तथा उन अन्य संस्थानों के वर्ष के दौरान दिए गए बहुमूल्य सहयोग तथा सहायता के लिए सराहना करता है। विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गये बहुमूल्य मार्गदर्शन, सलाह तथा सहायता के लिए आभार प्रकट करता है। निदेशक मण्डल भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं बैंकरों के बहुमूल्य सहयोग के लिए भी आभारी है।

निदेशक मण्डल के लिए, की ओर से

(अजय दुआ)
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. लेखा पद्धति :

1.1 कारपोरेशन द्वारा लेखों में मर्केन्टाइल पद्धति अपनाई जा रही है और आय तथा व्यय की पहचान एक्यूरल आधार पर की जा रही है।

1.2 वित्तीय सारणियां पूर्ववर्ती लागत पर आधारित हैं।

2. पूँजीगत खर्च

2.1 स्थिर परिसंपत्तियाँ :

क) स्थिर परिसंपत्तियों का निर्धारण अर्जन/निर्माण घटाएं-संचित मूल्यह्रास के आधार पर किया जाता है। फिर भी, जिन मामलों में वास्तविक खर्च सीधे-स्पष्ट तौर पर निश्चित नहीं हो पाते हैं, उन्हें शुद्ध अनुमानों के आधार पर निकाला गया है। वह राशि जो कि कारपोरेशन की परिसंपत्तियों के एक हिस्से के रूप में अथवा संयुक्त रूप से किसी एजेंसी द्वारा लगाई गयी है, को उस संपत्ति की कुल लागत में से कम करके लेखों में शुद्ध लागत के रूप में दर्शाई गयी है।

ख) कारपोरेशन की स्वामित्व रहित भूमि पर सृजित स्थिर परिसंपत्तियों को स्थिर परिसंपत्तियों के अंतर्गत ही दर्शाया गया है।

2.2 अन्य परिसंपत्तियां :

i) ऐसी परिसंपत्तियों पर आने वाले खर्च को, जो कारपोरेशन की स्वामित्वरहित भूमि पर सृजित नहीं है वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद बराबर किस्तों में 5 वर्ष से अधिक समय के बाद बट्टे खाते डाला गया है।

ii) सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं के रख-रखाव और उत्थान आदि पर आने वाले खर्चे को पूंजीगत कार्य के रूप में निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च (आई.ई.डी.सी.) में डाला गया है।

iii) सहायता अनुदान/एजेंसी अथवा जमा आधार पर खरीदी/सृजित कारपोरेशन की स्वामित्व रहित परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है।

2.3 मूल्यह्रास और परिशोधन :

i) लीज़होल्ड भूमि की किस्तों को लीज़ की अवधि के आधार पर परिशोधित किया गया है।

ii) बिजली उत्पादन/ट्रांसमिशन और उसके संचालन के लिए उपयोग में आने वाली परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, विद्युत (सप्लाई) अधिनियम, 1948 की धारा 68 की उपधारा 1 के अंतर्गत परिसंपत्तियों को उपयोग में लाए जाने वाले वर्ष के बाद से निर्धारित दरों पर सीधे तौर से चार्ज किया जा रहा है।

iii) अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 में प्रस्तावित दरों के अनुसार सीधे तौर पर दिया जाता है।

iv) ऐसी परिसंपत्तियां जिनकी वास्तविक लागत/डब्ल्यू.डी.वी. 5000 रु. या इससे कम है, वर्ष के प्रारम्भ में पूरी की पूरी बट्टे खाते डाली गई है।

v) फालतू घोषित निर्माण उपस्करों पर कोई मूल्यह्रास नहीं दिया गया है।

3. माल सूचियों का मूल्यांकन

3.1 स्टोर तथा अतिरिक्त पुर्जो का मूल्यांकन लागत के अनुसार किया गया है।

3.2 उपयोग योग्य/अतिरिक्त औजारों के किसी एक वस्तु की 5000/- या इससे कम लागत को उपभोग लेखा में डाला गया है। अन्य मामलों में 5 वर्ष से अधिक अवधि के बाद बराबर किस्तों में लागत को बट्टे खाते डाला गया है।

4. विनिमय अस्थिरता

विदेशी ऋणों को वर्ष के अंत में लागू विनिमय दरों के अनुसार नियमित किया गया है, इसमें अंतर यदि कोई है, तो उसे निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्चे में हस्तांतरित किया गया है और उसे पूंजीगत कार्य प्रगति पर का हिस्सा माना गया है।

5. विविध

5.1 मार्गस्थ माल/निष्पादित पूंजीगत कार्य, जो प्रमाणित नहीं किए गए हैं, के लिए देयताएं नहीं दी गई हैं क्योंकि इनका निरीक्षण और स्वीकार करने का काम कारपोरेशन ने करना है।

5.2 संचालित परियोजनाओं से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली की दरें सामान्य दर के अनुसार चार्ज की जा रही हैं।

5.3 निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च (आई.ई.डी.सी.) की समस्त राशि, केवल वाणिज्यक उत्पादन शुरू होने के पहले दिन से लागत/समायोजित किए जाने वाली भूमि को छोड़कर, स्थिर अचल परिसंपत्तियों में डाली गई है।

5.4 कारपोरेट कार्यालय के खर्च में अतिरिक्त कर्मचारियों को दिए जाने वाला पारिश्रमिक नीचे दिए अनुसार आबंटित किया गया है:-

क) संचालित परियोजनाओं पर, बिजली की बिक्री व व्हीलिंग प्रभार, करों व ड्यूटियों को छोड़कर 1 प्रतिशत की दर से।

ख) कुरिचू जल विद्युत परियोजना के मामले में प्रत्यक्ष पूंजीगत खर्च को 5 प्रतिशत की समान दर से।

ग) वर्ष के दौरान शेष खर्चे को प्राप्त निर्माणाधीन परियोजनाओं/एजेंसी आधार पर/आनुपातिक आधार पर अन्वेषण निर्माण कार्यों में शुद्ध पूंजीगत खर्च के अनुपात में आबंटित किया गया है।

5.5 संचालनाधीन परियोजनाओं में 5,000/- से अधिक की राशि वाले मामले को "पूर्व अवधि समायोजन लेखे" में दर्शाया गया है।

5.6 परियोजना निर्माण के लिए डिबेंचर/आवधिक ऋण/बॉण्ड जारी करके वित्तीय व्यवस्था जुटाने पर हुए प्रासंगिक खर्च तथा ब्याज को पूंजीगत खर्च के तौर पर लिया गया है और इसे निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च में डाला गया है।

31 मार्च, 1994 का तुलन-पत्र

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	अनुसूची सं.	31.3.1994			31.3.1993		
निधियों के स्रोत:							
1. हिस्सेदारों की निधियां							
(क) पूँजी	1		249908			225523	
(ख) आरक्षित व अधिशेष	2		39825	289733		33271	258794
2. इक्विटी के लिए भारत सरकार के समायोजन योग्य निधियां				33340			37725
3. ऋण निधियां	3						
(क) सुरक्षित ऋण			133333			117446	
(ख) असुरक्षित ऋण			210524	343857		148425	265871
				666930			562390
निधियों का उपयोग:							
1. स्थिर पूँजीगत खर्च							
(क) स्थिर परिसम्पत्तियां	4						
सकल ब्लॉक		160399			122933		
मूल्यह्रास		29124			26621		
शुद्ध ब्लॉक			131275			96312	
(ख) चालू पूँजीगत कार्य	5		314869			299404	
(ग) निर्माण स्टोर व पेशगियां	6		136818	582962		102457	498173
2. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण व पेशगियां	7						
(क) माल-सूचियां		2085			1988		
(ख) विभिन्न देनदार		25080			19179		
(ग) नकद व बैंक शेष		11605			13660		
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां		516			1157		
(ङ) ऋण व पेशगियां		65216	104502		57811	93795	
घटाएं: चालू देयताएं व व्यवस्थाएं	8						
(क) देयताएं		20490			29891		
(ख) व्यवस्थाएं		500	20990		—	29891	
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां				83512			63904
3. विविध खर्च							
(बट्टे खाते या समायोजित न किए गए की सीमा तक)	9			456			313
				666930			562390
लेखों तथा आकस्मिक देयताओं की टिप्पणियाँ	14						

अनुसूची 1 से 14 और लेखा-नीतियां, लेखों का अभिन्न अंग हैं।

एन.सीतारमन	**ए.आर. रामामूर्ति**	**के.के. वोहरा**	**अजय दुआ**
सचिव	प्रमुख (वित्त व लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 अगस्त, 1994

मधुर गुप्ता
भागीदार

31 मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	अनुसूची सं.	31.3.1994	31.3.1993
आय			
1. बिक्री		23400	17609
2. ढुलाई प्रभारें		247	281
3. विविध आय	10	218	532
कुल आय		23865	18422
खर्च			
1. जनरेशन, पारेषण व प्रशासनिक खर्च	11	1545	1381
2. कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ	12	1991	1349
3. ढुलाई प्रभारें		247	282
4. रॉयल्टी		439	517
5. मूल्यहास		2304	2260
6. ब्याज		7789	6027
7. अनिश्चित ऋणों के लिए व्यवस्था		2781	2371
कुल खर्च :		17096	14187
वर्ष में लाभ		6769	4235
जोडें (घटाएं) — पूर्व अवधि समायोजन	13	285	(86)
आयकर और सांविधिक विनियोजनों से पूर्व लाभ		7054	4149
जोडें : पिछले वर्ष से आगे लाया गया लाभ		12	12
घटाएं : प्रस्तावित लाभांश		500	—
सांविधिक विनियोजन डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व		4195	4149
जनरल रिजर्व में हस्तांतरित लाभ		—	—
आगे लिया गया आरक्षित व अधिशेष लाभ		2371	12

एन.सीतारमन	**ए.आर. रामामूर्ति**	**के.के. वोहरा**	**अजय दुआ**
सचिव	प्रमुख (वित्त व लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

मधुर गुप्ता
भागीदार

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 अगस्त, 1994

शेयर पूँजी

अनुसूची-1
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.03.94	31.03.93
प्राधिकृत पूंजी		
250,00,000 (पिछले वर्ष 250,00,000) इक्विटी शेयर, 1,000/- रुपए प्रति शेयर	250000	250000
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी		
1,000/- रुपए प्रति शेयर की दर से पूर्ण प्रदत्त 24990840 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 22552340) (इसमें 629529 शेयर नकद प्राप्ति के अतिरिक्त अनुबंधों के कंसीड्रेशन के लिये आवंटित कर दिये गये हैं और एक शेयर का आबंटन नकदी के अलावा पार्ट-कंसीड्रेशन के लिये किया गया है)	249908	225523
	249908	225523

आरक्षित व अधिशेष

अनुसूची-2
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.03.94	31.03.93
डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व	14109	9914
सामान्य रिज़र्व	21000	21000
निवेश भत्ता (उपयोग में लाया गया) रिज़र्व	2345	2345
लाभ व हानि लेखा	2371	1123
	39825	33271

ऋण निधियाँ

अनुसूची-3

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.03.94	31.03.93
आरक्षित ऋण		
(लोकतक व बैरास्यूल की परिसम्पत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित) एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 14%, 7 वर्षीय के नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 8 जुलाई, 1993 है।)	—	14129
बॉण्ड — ''सी'' सीरीज़		
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसम्पत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित) एक-एक हजार रुपए के के सममूल्य पर 9% पर 20 मई, 1998 को देय 10 वर्षीय के नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	15000	15000
बॉण्ड — ''डी'' सीरीज़		
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसम्पत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित) एक-एक हजार रुपए के के सममूल्य पर 9% पर 27 सितम्बर, 1999 को देय 10 वर्षीय के नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	21998	22000
अधिसूचित बॉण्डों पर उपचित तथा देय ब्याज	135	81
बॉण्ड — ''ई'' सीरीज़		
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित) एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 9% पर 9 फरवरी, 2000 को देय 10 वर्षीय के नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	15000	15000
उपचित तथा देय ब्याज (दावा रहित)	—	36
बॉण्ड — ''एफ'' सीरीज़		
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित) एक-एक हजार रुपए के के सममूल्य पर 13% पर 13 सितम्बर, 1997 को देय 7 वर्षीय के नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	21500	21500
बॉण्ड — ''जी'' सीरीज़		
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित) एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 17.5% पर 2 दिसम्बर, 1998 को देय 7 वर्षीय के नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	5000	5000

अनुसूची-3 *(जारी)*

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.03.94		31.03.93
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 17% पर 21 फरवरी, 1999 को देय 7 वर्षीय के नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	1000		1000	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 18% पर 7 वर्षीय के नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	13000		13000	
इसकी शीघ्रतातिशीघ्र शोधन तिथि 9 मार्च, 1999 है।				
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 9% पर 31 मार्च, 2002 को देय 10 वर्षीय के नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	700	19700	700	19700
अन्य ऋण (यू.टी.आई.)				
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)		40000		10000
कुल आरक्षित		133333		117446
अनारक्षित ऋण				
बॉण्ड — ''बी'' सीरीज़				
(पी.जी.सी.आई.एल. के चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम की परिसंपत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)				
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 13% पर 11 दिसम्बर, 1994 को देय 7 वर्षीय के नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।		4978		4996
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 9% पर 11 दिसम्बर, 1997 को देय 10 वर्षीय के नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।।		7842		7866
उपचित तथादेय ब्याज (सब-जूडिश)।		96		—
बॉण्ड — ''एच'' सीरीज़				
(साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित होंगे)				
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 18% पर 8 अगस्त, 1999 को देय 7 वर्षीय के-नॉन कनवर्टीबल बॉण्ड।	5000		5000	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 17% पर 7 वर्षीय के नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 30 मार्च, 2000 है।)	2519	7519	900	5900
बॉण्ड — ''आई'' सीरीज़				
(साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित होंगे)				
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 17% पर 4 जनवरी, 2001 को देय 7 वर्षीय के-नॉन कनवर्टीबल बॉण्ड।	80		—	

अनुसूची-3 *(जारी)*

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.03.94		31.03.93
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 15.5% पर 7 वर्षीय के नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 20 जनवरी, 1999 है।)	1000		—	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 14% पर 7 वर्षीय के नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 24 मार्च, 2001 है।)	19096		—	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 10.5% पर 29 मार्च, 2001 को देय 7 वर्षीय के नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	10000	30176	—	—
भारत सरकार से निधियाँ		51500		53175
सरकारी ऋण पर उपचित तथा देय ब्याज		12068		4457
अन्यों से (भारत सरकार द्वारा गारंटी युक्त)				
1. निर्यात विकास निगम (कनाडा)	45596		48641	
2. चार्टर्ड वेस्ट एल.बी. लिमिटेड द्वारा संचालित सहायता संघ	8624		6938	
3. क्रेडिट कमर्शियल डी फ्राँस	15658		12912	
4. ए.बी.एस.ई.के.	21867	91745	2790	71281
अन्य एजेंसियों से ऋण		4600		750
कुल अनारक्षित		210524		148425
जोड़		343857		265871

स्थिर परिसम्पत्तियाँ

अनुसूची-4
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	सकल ब्लॉक			मूल्यह्रास		शुद्ध ब्लॉक	
	1.04.93 को	बढ़ोत्तरी/ समंजन	कटौतियां/ समंजन	31.03.93 को	31.03.94 तक	31.03.94 को	31.03.93 को
भूमि फ्रीहोल्ड	1945	2357	7	4295	—	4295	1945
भूमि लीज़ होल्ड	1676	159	411	1424	79	1345	1606
भवन	15130	8397	130	23397	4093	19304	11555
सड़कें तथा पुल	5550	417	155	5812	888	4924	4772
निर्माण संयंत्र व मशीनरी	16207	420	950	15677	13187	2490	3382
जनरेटिंग संयंत्र व मशीनरी	9971	12829	10	22790	2264	20526	8062
सब-स्टेशन उपस्कर	761	41	35	767	272	495	528
हाइड्रॉलिक कार्य (बांध, सुरंग आदि)	64151	19639	2260	81530	6315	75215	59199
गाड़ियां	1399	85	290	1194	930	263	499
फर्नीचर, फिक्सचर व उपस्कर	1327	82	583	826	415	412	833
ट्रांसमिशन लाइनें	4133	1414	3910	1637	228	1409	3565
विविध परिसंपत्तियां/उपस्कर	683	478	111	1050	453	597	366
जोड़	122933	46318	8852	160399	29124	131275	96312
पिछले वर्ष	148323	2232	27622	122933	26621	96312	

चालू पूंजीगत कार्य

अनुसूची-5
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.03.94		31.03.93
1. सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श तथा अन्य खर्चें		828		804
2. भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य और संचार		15937		15325
3. सड़कें और पुल		1507		1502
4. हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध टनल व पावर-चैनल		108256		99900
5. पेनस्टॉक		2673		2535
6. जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी		27717		24792
7. विद्युत संस्थापनाएं व सब-स्टेशन उपस्कर		6150		6046
8. विविध परिसम्पत्तियां		6846		540
9. ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें		226		2097
10. भूमि जो कारपोरेशन से संबंधित नहीं है, पर सृजित परिसम्पत्तियों पर खर्च		1276		4095
11. **निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च**				
पिछले वर्ष से लाया गया शेष	141768		129417	
वर्ष के लिये जोड़ें	38791		22900	
जोड़	180559		152317	
जोड़ (घटाएं) वर्ष के दौरान भारत सरकार को समायोजित/हस्तांतरित	(37106)		(10549)	
चालू पूँजीगत कार्य में जमा शुद्ध आई.ई.डी.सी.		143453		141768
		314869		299404

निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

अनुसूची-5 का अनुबन्ध
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.03.94		31.03.93
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभः				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	4338		4162	
ग्रेच्युटी और भविष्य निधि अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	525		567	
स्टाफ कल्याण खर्चे	705		630	
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	24	5592	27	5386
मरम्मत और रख-रखाव :				
भवन	192		235	
मशीनरी व निर्माण उपस्कर	1271		1438	
अन्य	588	2051	521	2194
यात्रा व वाहन		98		114
स्टाफ कारों व निरीक्षण वाहनों पर खर्च		341		326
कार्यालय का किराया		127		133
आवासीय स्थान के लिए किराया		65		62
दरें व कर		194		217
बीमा		189		160

निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

अनुसूची-5 का अनुबन्ध *(जारी)*

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.03.94		31.03.93
बिजली प्रभारें		593		338
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च		68		78
विज्ञापन व प्रचार		16		36
डिज़ाइन व परामर्श प्रभारें		4		23
मनोरंजन		2		2
छपाई व लेखन सामग्री		42		50
लेखापरीक्षकों को भुगतान:				
लेखापरीक्षा शुल्क	2		2	
अन्य मामलों के लिए	1		1	
लेखापरीक्षा संबंधी खर्चे	1	4	1	4
ऋणों पर ब्याज		12652		5729
बॉण्डों पर ब्याज		10040		13197
बॉण्ड जारी करने व ऋण के लिए अप-फ्रंट प्रभारें		310		395
बैंक प्रभारें		21		7
विदेशी ठेकों पर आयकर		1627		1611
बट्टे खाते डाली गई सामग्रियों/परिसंपत्तियों पर हानि		27		244
विदेशी परामर्श प्रभारें		87		1034
वायदा शुल्क		189		526
वित्तीय प्रभारें		326		185
मूल्यह्रास		1697		1689
विनिमय दर परिवर्तन		65		—
अनुदान व अन्य अंशदान		23		—
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के प्रबंधन खर्चे		—		273
संदेहास्पद ऋण		—		9
भूमि पर खर्च, जो कारपोरेशन की नहीं है		1857		—
अन्य खर्चे		4361		2798
कुल खर्च :		42668		36820
घटाएं: प्राप्तियां व वसूलियां				
रद्दी सामग्री की बिक्री		97		51
बिजली प्रभारें		119		1955
किराया		3		13
ब्याज				
आवधिक जमा		96		505
ऋण व पेशगियां		157		126
अन्य निवेश		38		73
विविध प्राप्तियां व वसूलियां		534		1591
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		7		2

अनुसूची-5 का अनुबन्ध *(जारी)*

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.03.94		31.03.93
पूर्व अवधि समायोजन		—		6489
विनिमय दर परिवर्तन (प्राप्त)		—		174
कुल प्राप्तियां		1051		10979
शुद्ध खर्च		41617		25841
घटाएं:				
1. सी.डब्ल्यू.आई.पी. को बिना बारी के आबंटित/सीधे तौर पर आबंटित किराया प्रभारें	2587		2764	
2. अन्वेषण, डिपाजिट, एजेंसी कार्य और संचालित परियोजनाओं को आबंटित आई.ई.डी.सी.	239	2826	177	2941
		38791		22900

टिप्पणी:

(क) उपर्युक्त खर्च में निदेशकों को अदा की गई निम्नलिखित राशियां शामिल हैं:

	1993-94	1992-93
	(रुपए)	(रुपए)
i) वेतन व भत्ते	409794	379428
ii) भविष्य निधि अंशदान	39361	43790
iii) आवासीय स्थान के लिए किराया	166184	161178
iv) यात्रा खर्चे	164259	99965
v) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	34386	42215
vi) छुट्टी यात्रा रियायत	—	62922

(ख) सरकारी मंजूरी की शर्तों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों को गैर ए.सी. कार के लिए 250/- रु. प्रतिमास और ए.सी. कार के लिए 400/- रुपए प्रतिमास की अदायगी पर 1000 कि.मी. तक की सरकारी और निजी यात्राओं के लिए कंपनी की कार के प्रयोग की अनुमति दी गई थी।

निर्माण स्टोर व पेशगियाँ

अनुसूची-6

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.03.94		31.03.93
1. निर्माण स्टोर				
(प्रबंधन द्वारा प्रामाणित लागत पर)				
ट्रांजिट में निर्माण सामान	249		503	
स्टोर	7609	7858	8377	8880
2. पूंजीगत खर्चे के लिए पेशगी				
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)	114682		76932	
अनारक्षित क) (कंसीडर्ड गुड)	14278		16645	
ख) संदेहास्पद	—		—	
ग) घटाएं: संदेहास्पद के लिए प्रावधान	—	128960	—	93577
		136818		102457

कंपनियाँ, जिनमें कारपोरेशन का कोई निदेशक, एक निदेशक या एक सदस्य है, द्वारा शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) पेशगी देय है।

चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां

अनुसूची-7
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे				31.03.94		31.03.93
1. माल सूचियाँ (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लागत पर)						
स्टोर व अतिरिक्त पुर्जे			2083		1982	
अतिरिक्त औजार			2	2085	6	1988
2. विविध देनदार						
छः माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण			25152		17683	
अन्य ऋण			9251		8038	
घटाएं : संदेहजनक ऋणों के लिए व्यवस्था			9323	25080	6542	19179
	1993-94	1992-93				
विविध देनदारों के ब्यौरे						
अनारक्षित कन्सीडर्ड	25080	19179				
संदेहजनक समझे गए और दिए गए	9323	6542				
3. नकद और बैंक शेष						
नकदी, अग्रदाय, चैक, ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर एवं डाक टिकटें			402		1821	
अनुसूचित बैंकों में शेष :						
चालू खाता			7931		2321	
अनुसूचित बैंकों में जमा			902		1294	
गैर-अनुसूचित बैंकों में शेष :						
चालू खाता (स्कनडिनाविस्का एनस्किल्डा बैंकन)			2370	11605	8224	13660
	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष					
	1993-94	1992-93				
स्कनडिनाविस्का एनस्किल्डा बैंकन						
चालू खाता	8668	9426				
अन्य चालू परिसंपत्तियां						
जमा राशियों पर उपचित ब्याज			96		80	
अन्य			420	516	1077	1157
5. ऋण व पेशगियां						
नकद या माल अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य पेशगियाँ						
आरक्षित (कन्सीडर्ड गुड)			10		6	
अनारक्षित (कन्सीडर्ड गुड)			2927		2582	
अनारक्षित (सन्देहजनक)			94		95	
घटाएं : संदेहजनक के लिए व्यवस्था			94		95	
कर्मचारियों को ऋण (आरक्षित)			413		419	
कस्टम में शेष			—		—	
भारत सरकार का सार्वजनिक जमा खाता			7474		57	
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.			54392	65216	54747	57811
				104502		93795

निदेशकों द्वारा देय पेशगी शून्य रुपए (पिछले वर्ष 1 लाख रुपए) । वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम देय राशि 1.27 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1 लाख रुपए) ।

चालू देयताएं और व्यवस्थाएं

अनुसूची-8
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.03.94		31.03.93
देयताएं				
विविध लेनदार	5956		3495	
डिपॉजिट/एजेंसी की खर्च न की गई राशि	277		289	
जमा/रिटेंशन राशि	737		799	
अन्य देयताएं	3653		11215	
ऋण पर उपचित ब्याज लेकिन देय नहीं	9849		14075	
जारी किए गए चैकों के लिए देयता	18	20490	18	29891
व्यवस्थाएं				
लाभांश		500		—
		20990		29891

ऋणों पर उपचित ब्याज परन्तु जो अभी देय नहीं, में शामिल है : बी-सीरीज़ संचयी बॉण्डों पर 525 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1601 लाख रुपए) जो बॉण्डों की परिपक्वता (मैच्यूरिटी) पर दिया जाना है।

विविध खर्च

अनुसूची-9
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.03.94		31.03.93
बट्टे खाते न डाले गए या समंजन न किए गए की सीमा तक विविध खर्च				
कारपोरेशन की स्वामित्व-रहित परिसंपत्तियों पर खर्च		32		—
बट्टे खाते की मंजूरी की प्रतीक्षा संबंधी हानियां	568		497	
घटाएं : प्रदान किए गए	567	1	497	—
आस्थगित राजस्व खर्चे		423		313
		456		313

विविध आय

अनुसूची-10
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.0.94	31.03.93
अन्य विविध प्राप्तियां	103	92
देयताएं जो पुनः अपेक्षित नहीं	1	353
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	114	87
	218	532

जनरेशन ट्रांसमिशन और प्रशासनिक खर्चे

अनुसूची-11

(रुपए लाखों में)

	ब्यौरे	31.03.94	31.03.93
क.	**जनरेशन व ट्रांसमिशन खर्चे**		
	स्टोर व अतिरिक्त पुर्जों की खपत	178	173
	मरम्मत एवं रख-रखाव		
	क) भवन	56	34
	ख) मशीनरी	119	156
	ग) अन्य	252	227
	अन्य प्रचालनात्मक खर्चे	122	74
	आस्थगित राजस्व खर्चे के बट्टे खाते डाली गई राशि	125	78
ख.	**प्रशासनिक खर्चे**		
	किराया	1	—
	दरें व कर	3	2
	बीमा	10	8
	बिजली प्रभारें	21	12
	यात्राएं व वाहन	33	34
	स्टाफ कारों पर खर्च	97	42
	टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च	14	10
	विज्ञापन व प्रचार	4	7
	छपाई व लेखन सामग्री	10	8
	कारपोरेट कार्यालय में प्रबंधन खर्च	234	176
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	9	—
	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. का प्रबंधन खर्च	—	57
	शीघ्र भुगतान पर छूट	74	84
	अन्य विविध खर्चे	182	125
	सन्देहास्पद पेशगियों के लिए व्यवस्था	1	74
		1545	1381

कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ

अनुसूची-12
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.03.94	31.03.93
वेतन, मजदूरी व भत्ते	1576	1142
ग्रेच्युटी और भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	215	143
स्टाफ कल्याण खर्चे	200	64
	1991	1349

पूर्व अवधि समंजन

अनुसूची-13
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.03.94	31.03.93
बिजली की बिक्री	315	(2)
मूल्यह्रास	(1)	1
वेतन व मजदूरी	(9)	(2)
मरम्मत व रख-रखाव	(11)	(17)
अन्य विविध	(9)	(66)
	285	(86)

लेखों पर टिप्पणियाँ:

अनुसूची-14

1. आकस्मिक देयताएं :

(क) कम्पनी के विरुद्ध दावे की राशि 47166 लाख रुपए बनती है, जिसे ऋण के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है (पिछले वर्ष 35584 लाख रुपये)।

(ख) दुलहस्ती और उड़ी परियोजनाओं के ठेकेदारों के कंसोर्टियम द्वारा बिना शुल्क आयात किए गए निर्माण मशीनरी व कल-पुर्जों (स्पेयर्स) के पुनः निर्यात के लिए कंपनी द्वारा कस्टम प्राधिकारियों को 4701 लाख रुपए (पिछले वर्ष 36021 लाख रुपए) की कीमत के बॉण्ड निष्पादित किए गए।

(ग) बिजली की खपत सम्बन्धी कारपोरेशन (सलाल परियोजना चरण-I) के विवाद पर विद्युत शुल्क (अनिश्चित-राशि) देयताओं में डाली गई है।

(घ) एजेंसी आधार पर डिपाजिट कार्यों और सहायता अनुदान पर निष्पादित परियोजनाओं संबंधी देयताएं अभी संबंधित प्राधिकारियों से वसूल की जानी हैं।

2. पूँजी लेखों पर निष्पादित होने वाले ठेके संबंधी शेष खर्चों की अनुमानित राशि की व्यवस्था नहीं की गई है, जो 137506 लाख रुपए बनती है (पिछले वर्ष 208667 लाख रुपए)।

3. "गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया फंड-एडजेस्टेबल टू इक्विटी" में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए भारत सरकार से ऋण के रूप में प्राप्त 180 लाख रुपए (पिछले वर्ष 180 लाख रुपए) की राशि कुछ औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को हस्तांतरित नहीं की गई है।

(ख) सलाल परियोजना के लिए 33160 लाख रुपए (पिछले वर्ष 33160 लाख रुपए) तथा उस पर प्राप्त ब्याज भारत सरकार की ओर से अंशदान के रूप में है। (विवरण के लिए पैरा सं. 4 देखें)।

4. विद्युत मंत्रालय तथा एन.सी.ई.एस का दिनांक 9.2.89 तथा 12.7.91 का पत्र सं. 4/1/78-डी.ओ. (एन.एच.पी.सी.) के अनुसार सलाल जल विद्युत परियोजना चरण-I नवम्बर, 1987 में कारपोरेशन को हस्तांतरित की गई है। हस्तांतरण के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक इस परियोजना के लेखे कारपोरेशन के लेखों में निगमित किए गए हैं। इसके लिए उन्हीं नियमों व शर्तों को ध्यान में रखा गया है, जिनका भारत सरकार द्वारा कारपोरेशन को हस्तांतरित की गई अन्य परियोजनाओं के संबंध में पालन किया गया था।

परियोजनाओं के निर्माण के लिए सरकार से फण्ड-इन-फ्लो से 29764 लाख रुपए की प्राप्त राशि, परियोजनाओं की अनुमानित संशोधित लागत के प्रथम 50 प्रतिशत को भारत सरकार से निवेश के तौर पर और इक्विटी हिस्सा पूंजी के निर्गम द्वारा, समायोजित मानी गई है और अलग-अलग तारीखों पर ली गई शेष राशि उस तारीख से सरकार की नीति के अनुसार प्रचलित दर पर ब्याज देने वाले ऋण के रूप में मानी गयी है। निर्माण अवधि के दौरान निवेश की ऐसी ऋण राशि पर उपचित ब्याज को भी पूंजीकृत कर दिया गया है और उसके 50 प्रतिशत हिस्से को इक्विटी पूंजी के निर्गम के रूप में समायोजित मान लिया गया है और शेष को ऋण के रूप में। इक्विटी पूंजी के निर्गम द्वारा समायोज्य राशि और उपरोक्त आधार पर निकाली गयी ऋण की राशि क्रमशः 33160 लाख रुपए और 31070 लाख रुपए बनती है।

शर्तों का निपटान लंबित होने पर अतिरिक्त ब्याज 7642 लाख रुपए (31.3.1993 तक दिए गए 6617 लाख रुपए सहित) की राशि को ऋण और ब्याज की गैर अदायगी में रखा गया है।

5. लाभभोगियों के साथ बिजली आपूर्ति करारों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इन करारों को अन्तिम रूप दिये जाने तक लोकतक, बैरास्यूल, सलाल तथा टनकपुर तथा सलाल चरण-II परियोजनाओं से बेची गई बिजली क्रमशः 64.83, 47.55, 57.00, 168.54 तथा 73.43 पैसे प्रति के.डब्ल्यू.एच. की दर से लेखे में ली गई है फिर भी, शुल्क समायोजन के लिए 2781 लाख रुपए की राशि का अनुमान लगाया गया है जोकि प्रबंध वर्ग की राय में पर्याप्त है।

6. चमेरा, टनकपुर, उड़ी तथा दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाओं की संशोधित परियोजना लागत को सार्वजनिक निवेश बोर्ड तथा आर्थिक मामलों की केबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। भारत सरकार की वित्तीय व्यवस्था के अनुसार 31.3.94 तक इन परियोजनाओं के लिए प्राप्त ऋण को इक्विटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इस राशि को इक्विटी में बदलने संबंधी मंजूरी लंबित होने के कारण इसे भारत सरकार के ऋण के रूप मे दर्शाया गया है फिर भी, इन ऋणों पर ब्याज देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

7. i) पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के (अधिग्रहण तथा हस्तांतरण) अधिनियम, 1993 के अनुसार नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., नैशनल हाइड्रोलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, नार्थ ईस्टर्न, इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. की ट्रांसमिशन लाइनों से सम्बद्ध परिसम्पत्तियां तथा देयताएं दिनांक 1.4.1992 से भारत सरकार को सौंप दी गई हैं। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हस्तांतरण के लिए समायोजनों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :-

(क) भारत सरकार से मिलने वाले ऋण को 104.01 करोड़ रुपए तक कम कर दिया गया है।

(ख) पूंजी तथा "इक्विटी" में समायोजन योग्य राशि को कम करके क्रमशः 203.85 करोड़ रुपए और 1.80 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(ग) ट्रांसमिशन लाइनों से संबंधित 229.39 करोड़ रुपए की कुल राशि के ऋण और अन्य देयताओं के हस्तांतरण के लिए आवश्यक समायोजन, भारत सरकार तथा पी.जी.सी.आई.एल. के साथ अंतिम कार्रवाई होने के बाद किए जाएंगे।

औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण, उपर्युक्त (ख) तथा (ग) में दी गई राशि को पी.जी.सी.आई.एल./भारत सरकार से वसूली योग्य राशि में दिखाया गया है।

ii) जम्मू व कश्मीर राज्य की ट्रांसमिशन लाइनों को दिनांक 1.4.93 से 64.42 करोड़ रु. की अस्थायी राशि पर पी.जी.सी.आई.एल. को हस्तांतरित कर दिया गया है, जिसमें भारत सरकार के ऋण पर अतिरिक्त ब्याज की देयता शामिल नहीं है।

iii) उत्पादन और ट्रांसमिशन के बीच विनियोजन के आधार का निर्धारण लंबित होने के कारण लाभभोगियों से प्राप्त राशि को कारपोरेशन के बकाया समायोजन में विनियोजित कर दिया गया है।

8. कुछ मामलों में भूमि की लागत मुआवजे की अनन्तिम/प्रारंभिक अदायगी और प्रासंगिक खर्चों का समंजन, यदि कोई हो, अन्तिम मुआवजा निर्धारित करते समय किया जाएगा। कुछ मामलों में कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने से भूमि का स्वामित्व कारपोरेशन को नहीं सौंपा गया है।

9. 5,000 रु. तक की वास्तविक लागत या डब्ल्यू.डी.वी. वाले सभी अतिरिक्त औजारों/परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालने के कारण लेखा नीति में परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव इस प्रकार हैं :-

i) लाभ 111 लाख रु. तक कम।

ii) वर्ष के लिए आई.ई.डी.सी. 274 लाख रुपए तक अधिक।

10. उड़ी जल विद्युत परियोजना टर्नकी आधार पर ठेकेदारों द्वारा निष्पादित की जा रही है। यह ठेका देने से पहले कारपोरेशन ने कुछ काम पूरे कर लिए हैं। ठेकेदारों के साथ समझौता लंबित होने के कारण समायोजन नहीं किया गया है।

11. उड़ी परियोजना के मामले में:

i) जम्मू-कश्मीर राज्य के साथ लीज़डीड की शर्तों व नियमों को अन्तिम रूप देने का मामला लंबित होने के कारण खरीदी गई तथा अधिग्रहण की गई भूमि की लीज़ की अवधि अस्थाई तौर पर 90 वर्ष ली गई है।

ii) जम्मू-कश्मीर में स्थिति अव्यवस्थित होने के कारण 505 लाख रुपए (जिसमें 80 लाख रुपए के प्राप्त होने वाले पेंडिंग बिल शामिल हैं) मूल्य के पूंजी निर्माण भंडारों का प्राइस्ड स्टोर लेखों और बिन-कार्डों से सत्यापित तथा समाधान नहीं किया जा सका है। खपत, प्राप्तियां, कमी/वृद्धि सहित समायोजन, यदि कोई हो, भंडार से समाधान के समय किए जाएंगे।

iii) विद्युत विकास विभाग (जम्मू कश्मीर-राज्य) से संबंधित भूमि और कुछ पुराने भवनों के लिए जो कि इस समय गंटामूला में स्थित परियोजना के स्वामित्व में हैं और जिनके लिए विद्युत विकास विभाग ने 83 लाख रुपए की मांग की है, खरीद का निर्धारण लंबित है और इसके लिए कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। ऐसी संपत्ति को भुगतान योग्य नहीं माना गया है और इस संबंध में जम्मू-कश्मीर राज्य के साथ पत्र-व्यवहार जारी है।

iv) बिक्री पर देयता की गणना अनंतिम आधार पर की गई है। इसमें समायोजन, यदि कोई हो, अंतिम मूल्यांकन के समय किया जाएगा।

12. सलाल चरण-।। परियोजना की एक विद्युत उत्पादन यूनिट को 1 जुलाई, 1993 से वाणिज्यिक संचालन पर घोषित कर दिया गया है। तदनुसार बिजली की बिक्री और पूर्व परीक्षण के दौरान 30 जून, 1993 तक विद्युत उत्पादन पर होने वाले खर्चे निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च (आई.ई.डी.सी.) में डाले गए हैं।

13. फ्रेंच कंसोंटियम के ठेकेदारों ने दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना का कार्य रोक दिया है। इस परियोजना पर कार्य पुनः आरंभ करने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है और समझौता संबंधी देयता, यदि कोई हो, जो अनिश्चित है, नहीं दी जाएगी।

14. कुछ परियोजनाओं के ठेकेदारों को दी गई माल सामग्री, पूंजीगत खर्चों के लिए पेशगियाँ, विविध खर्चों, ऋणों व पेशगियों, विविध जमा और ठेकेदारों से जमा/उपचित राशि आदि समाधान/पुष्टिकरण के अधीन हैं। समायोजन, यदि कोई हो, समाधान/पुष्टिकरण के समय किया जाएगा।

15. बैंकों द्वारा दर्शाए गए कुछ अधिक गलत खर्चे/जमाएं आदि समाधान के अधीन हैं और समायोजन, यदि कोई हो, को प्राप्त होने पर निपटान के समय लेखा बहियों में दर्ज किया जाएगा।

16. जीवन बीमा निगम की ग्रुप ग्रेच्युटी पॉलिसी के नियमित न रहने के बाद से अनुमानित आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान बनाया जा रहा है।

17. सलाल जल विद्युत परियोजना-। के मामले में प्लंग पूल पर होने वाले 236.94 लाख रुपए को आस्थगित राजस्व खर्चे के रूप में लिया गया है, जिसे 5 वर्ष में बट्टे खाते डाला जाएगा।

18. औद्योगिक महंगाई भत्ता पद्धति पर वेतनमान संशोधित होने का मामला लंबित है और इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

19. मात्रात्मक विस्तार

	1993-94	1992-93
i) लाइसैंसीकृति क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
ii) अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	865	648
iii) वास्तविक उत्पादन	3587	3474
iv) वास्तविक बिक्री (मि.यू.)	3442	3424

	रुपए लाखों में	प्रतिशत	रुपए लाखों में	प्रतिशत
20. (क) सी.आई.एफ. आधार पर आयातित पूंजीगत संयंत्र व मशीनरी और पुर्जों की कीमत	23772		14530	
(ख) विदेशी मुद्रा में खर्च				
i) जानकारी	1749		1662	
ii) ब्याज	7203		5153	
iii) अन्य विविध मामले	756		18086	
(ग) विदेशी मुद्रा में अर्जन				
i) ब्याज	452		1452	
(घ) चालू परियोजनाओं में उपयोग में लाये गये अतिरिक्त पुर्जों व अवयवों का मूल्य				
i) आयातित	—		—	
ii) देशी	178	100	173	100

21. आयकर की देयताओं के सम्बंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि कर योग्य आय की गणना नहीं की गई है।

22. पिछले वर्षों के आंकड़ों का पुनः एकत्रीकरण/पुनः मिलान किया गया है और जहां आवश्यक है वहां चालू वर्ष के आंकड़ों से भी मिलान किया गया है।

एन.सीतारमन	**ए.आर. रामामूर्ति**	**के.के. वोहरा**	**अजय दुआ**
सचिव	प्रमुख (वित्त व लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 अगस्त, 1994

मधुर गुप्ता
भागीदार

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की सेवा में

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 1994 के संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न कारपोरेशन के उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा जिसमें शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा परियोजनाओं/यूनिटों का लेखापरीक्षण भी शामिल है, की लेखापरीक्षा की है। हमारी रिपोर्ट है कि :—

1. जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4क) की शर्तों में कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्माता व अन्य कंपनियों (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 1988 के अन्तर्गत अपेक्षित है, और कारपोरेशन की बहियों और रिकार्ड की परीक्षा के आधार पर और लेखा परीक्षा के दौरान दी गई सूचनाओं तथा प्रबंध वर्ग द्वारा उन पर दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर और कारपोरेशन के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कथित आदेश पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण इस रिपोर्ट में संलग्न है।

2. उपर्युक्त पैरा 1 के अलावा हमारी रिपोर्ट है कि :—

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

   (ख) हमारे विचार से, जैसा कि बहियों की जांच से पता चलता है, कारपोरेशन ने कानूनी तौर पर अपेक्षित व समुचित लेखा बहियां रखी हैं और कारपोरेशन की शाखाओं और यूनिटों के बारे में समुचित रिटर्न लेखापरीक्षकों से हमें प्राप्त हो गई हैं, जिनकी उन्होंने लेखापरीक्षा की थी।

   (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 228 के अन्तर्गत लेखापरीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है जो उपर्युक्त अधिनियम की उपधारा (3) के अनुच्छेद (सी) के अनुसार अपेक्षित थी। इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उसे ध्यान में रखा गया है। आवश्यक संशोधन, यदि कोई हैं तो वे भी कर दिए गए हैं।

   (घ) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा, लेखा बहियों और रिटर्न से मेल खाते हैं।

   (च) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार अपेक्षित लेखों पर दिए गए स्पष्टीकरण हमारे विचार और अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं।

1. **टिप्पणी सं. (4)**
   सलाल जल विद्युत परियोजना के लेखे सरकार के निर्देशों के आधार और वैधानिक परामर्श से रखे गए हैं।

2. **टिप्पणी सं. (5)**
   बिजली की बिक्री का राजस्व लेखा अस्थाई आधार पर रखा गया है।

3. **टिप्पणी सं. (6)**
   संदर्भ : चमेरा, टनकपुर, उड़ी और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त ऋण पर ब्याज की व्यवस्था न होने के कारण उसे इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया गया है।

4. **टिप्पणी सं. (7)**
   संदर्भ : भारत सरकार+/पी.जी.सी.आई.एल. को ट्रांसमिशन लाइनों का हस्तान्तरण संबंधी समझौता लंबित है।

5. **टिप्पणी सं. (8)**
   संदर्भ : भूमि खरीद का मामला निश्चित न होने के कारण उस भूमि को अस्थाई आधार पर पूंजीकृत किया गया है। अन्य औपचारिकताएं लंबित होने के कारण "टाइटिल डीड" का पंजीकरण/निष्पादन पूरा नहीं किया जा सका है।

6. **टिप्पणी सं. (9)**
   संदर्भ : अतिरिक्त औजारों को बट्टे खाते में डालने तथा मूल्यह्रास आदि के संबंध में लेखा नीति परिवर्तन पर पड़ने वाला प्रभाव।

7. **टिप्पणी सं. 11 (ii)**
   संदर्भ : उड़ी जल विद्युत परियोजना के भण्डारों का मूल्य भण्डारण लेखों से सत्यापन व समाधान नहीं हुआ है।

8. टिप्पणी सं. (13)

संदर्भ : दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना में देयताओं की व्यवस्था नहीं की गई है।

9. टिप्पणी सं. (14)

संदर्भ : ठेकेदारों की दी गई सामग्री, ठेकेदारों विविध देनदारों, लेनदारों को दी गई पेशगियों का ठेकेदारों की जमा धरोहर राशि की पुष्टि नहीं हो पाई है।

10. टिप्पणी सं. (15)

संदर्भ : बैंकों द्वारा गलत डेबिट और क्रेडिट को समायोजित नहीं किया गया है।

11. टिप्पणी सं. (16)

संदर्भ : ग्रेच्युटी का प्रावधान अनुमानित आधार पर किया गया है न कि अंकित मूल्यांकन के आधार पर।

12. टिप्पणी सं. (18)

संदर्भ : वेतन संशोधन के लिए लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अनुसूची 14 में दिए गए नोट तथा इसके साथ अन्य विवरण और लेखों पर उसका प्रभाव स्पष्ट व सही तौर पर दर्शाया गया है।

i) 31 मार्च, 1994 को कारपोरेशन के कार्यों को प्रदर्शित करने वाले तुलन-पत्र के मामले में।

ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कारपोरेशन के लाभ व हानि लेखे में लाभ के मामले में।

कृते व की ओर से

सुरेश चन्द्र व एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

नई दिल्ली

दिनांक : 30 अगस्त, 1994

(मधुर गुप्ता)

भागीदार

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के संबंध में :

1. कारपोरेशन ने स्थिर परिसंपत्तियों के एक बड़े हिस्से के बारे में रिकार्ड रखे हैं लेकिन कुछ मामलों में रखे गए रिकार्डों में स्थिति नहीं दर्शायी गई है। प्रबंध वर्ग ने अधिकांश परियोजनाओं में परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया है। कुछ मामलों में रिपोर्टें समाधान के अधीन हैं जिसके कारण इन परियोजनाओं में कमियां, यदि कोई हों, के बारे में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। अन्य परियोजनाओं में जहां वास्तविक सत्यापन किया जा चुका है, कोई बड़ी कमी नहीं देखी गई।

2. वर्ष के दौरान किसी भी स्थिर परिसंपत्ति का पुनःमूल्यन नहीं किया गया है।

3. प्रबंधवर्ग द्वारा अधिकांश परियोजनाओं में माल सूची की चिरस्थायी पद्धति का अनुसरण करते हुए भण्डारों, अतिरिक्त पुर्जों और कच्चे माल का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में प्रबंधवर्ग द्वारा अपनाई गई पद्धति कारपोरेशन के आकार और इसके व्यवसाय की किस्म के अनुरूप संतोषजनक है।

4. प्रबंधवर्ग द्वारा स्टॉक, पुर्जों, भण्डारों, संचालन योग्य आपूर्तियों आदि का वास्तविक सत्यापन करने के लिए जो पद्धति अपनाई गई है वह कारपोरेशन के आकार एवं व्यवसाय की किस्म के अनुसार उचित एवं पर्याप्त है।

5. भंडारों, अतिरिक्त पुर्जों और कच्चे माल के वास्तविक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियां कुछ परियोजनाओं को छोड़कर जहां कमियां हैं, समाधान/सत्यापन के अधीन हैं, वर्ष के दौरान लेखे में समायोजित कर दी गई हैं।

6. मालसूची का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया गया है। केवल दुलहस्ती, धौलीगंगा और उड़ी परियोजनाओं के संबंध में मूल्यांकन सामान्य खाते के अनुसार किया गया है जोकि स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार नहीं है।

7. कारपोरेशन ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनी से अनारक्षित ऋण नहीं लिया है। हमारी राय में ऐसे ऋण के लिए ब्याज की दर, नियत व शर्तें प्रत्यक्षतः कारपोरेशन के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

8. कारपोरेशन ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत सूचीबद्ध कंपनी को अनारक्षित ऋण की अनुमति दी है। हमारी राय में ऐसे ऋण के लिए ब्याज की दर तथा नियम व शर्तें कारपोरेशन के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

9. कारपोरेशन ने, कारपोरेशन के कर्मचारियों और ठेकेदारों को ऋण के रूप में पेशगी दी है जो सामान्यतः नियमित रूप से ब्याज, जहां लागू हो, का भुगतान कर रहे हैं।

10. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार केवल उड़ी परियोजना को छोड़कर, भण्डारों, कच्चे माल, (पुर्जों सहित) संयंत्र व मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों व सामान की बिक्री के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया कंपनी के आकार और कारपोरेशन के कार्यों के अनुरूप है।

11. प्रबंधवर्ग द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज अनुबंधों और व्यवस्थाओं के अनुसरण में बनाई गई प्रत्येक पार्टी के लिए वर्ष के दौरान रु. 50,000/- या इससे अधिक के लिए किसी प्रकार के सामान व सामग्री की खरीदारी व बिक्री तथा सेवाओं का कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

12. जैसा कि हमें बताया गया है बेकार या क्षतिग्रस्त भण्डारों/कच्चे माल को निर्धारित करने के लिए कारपोरेशन के पास कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है। इसलिए हानि, यदि कोई हो, के लिए व्यवस्था इन आइटमों को निर्धारित करते समय लेखे की बहियों में की जाती है।

13. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-ए के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत लागू नियमों के अनुसार कारपोरेशन ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन में रद्दी सामग्री की बिक्री और निपटान के लिए समुचित रिकार्ड रखे जा रहे हैं।

15. कारपोरेशन में अलग से एक आंतरिक लेखा विभाग है। कारपोरेशन के आकार और व्यवसाय को देखते हुए इस विभाग के आकार व कार्यक्षेत्रों का विस्तार करने के साथ-साथ आंतरिक लेखापद्धति को भी और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

16. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्डों का रख-रखाव केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

17. कारपोरेशन नियमित रूप से भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा करा रही है। हमें बताए गए अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान कारपोरेशन पर लागू नहीं होते।

18. 31 मार्च, 1994 को आयकर, सम्पत्ति-कर, बिक्री-कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के संबंध में देय तारीख से छः महीने से अधिक अवधि के लिए ऐसी कोई अविवादास्पद राशि देय नहीं है।

19. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे व्यक्तिगत खर्चे, जो संविदा दायित्वों या सामान्य स्वीकृत व्यवसाय पद्धति के अनुसार आते हैं, को छोड़कर, को राजस्व लेखे में चार्ज नहीं किया गया है।

20. घाटा औद्योगिक कंपनी (विशेष व्यवस्था) अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ओ) के अर्थ में कारपोरेशन घाटा औद्योगिक कारपोरेशन नहीं है।

21. एजेंसी कार्यों/डिपाजिट कार्यों के संबंध में :—

i) कारपोरेशन में भंडारों और सामग्रियों की प्राप्तियों, निर्गमों और उपभोग में ली गई सामग्रियों और मानव घण्टों के युक्तिसंगत आबंटन के लिए व्यवस्था है।

ii) कार्यों के लिए भंडार जारी करने और भंडारों के आबंटन तथा श्रमिक संबंधी अपेक्षित नियंत्रण सहित उचित स्तरों पर प्राधिकरण की समुचित पद्धति मौजूद है। कारपोरेशन के आकार और इसके कार्य की किस्म के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण पद्धति को सुदृढ़ करने की जरूरत है।

कृते व की ओर से
सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउटेंट्स

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 अगस्त, 1994

मधुर गुप्ता
भागीदार

अनुबन्ध-I

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., नई दिल्ली के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधवर्ग के उत्तर ।

टिप्पणियां / **उत्तर**

1. तुलन-पत्र

i) चालू पूंजीगत कार्य — अनुसूची-5

उत्पादन स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी — 27717.00 लाख रुपए

इसमें बी.एच.ई.एल. भोपाल से खरीदी गई 137.50 लाख रुपए मूल्य की सामग्री शामिल है। इसमें से बी.एच.ई.एल. भोपाल द्वारा 129.00 लाख रुपए की सामग्री फरवरी/मार्च, 1994 तथा 8.50 लाख रुपए की सामग्री अप्रैल, 1994 में भेजी गई थी। यह सामग्री परियोजना में अप्रैल/मई, 1994 में प्राप्त हुई थी।

इसके परिणामस्वरूप, चालू पूंजीगत कार्य में 137.50 लाख रुपए का अति विवरण और मार्गस्थ सामग्री में 129.00 लाख रुपए का अधिविवरण हुआ है और विविध देनदारियों में 8.50 लाख रुपए तक का अतिविवरण हुआ है।

1. i) चालू पूंजीगत कार्य और मार्गस्थ सामग्री दोनों को "स्थिर पूंजीगत खर्चों" के रूप में दर्शाया गया है। अतः इसका प्रभाव तुलन पत्र पर नहीं पड़ता है।

ii) चालू देयताएं व प्रावधान-209.90 लाख रुपए (अनुसूची-8)

उपर्युक्त राशि में 20.88 लाख रुपए मैसर्स एस.एन.सी./एकर्स को अदा किए गए परामर्शी प्रभारों और हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली को किए गए कार्य की प्रतिपूर्ति दावे के लिए अदा किए गये 78.00 लाख रुपए शामिल नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं और प्रावधानों में 98.88 लाख रुपए का अधिविवरण हुआ है।

ii) (क) परामर्शदाताओं से बिल प्राप्त नहीं हुए थे अतः देयताओं के अनिश्चित होने के कारण उन्हें दर्शाया नहीं गया है।

(ख) इसका संबंध चमेरा-II परियोजना के लिए किए गए अन्वेषण से है। यह कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने किया था क्योंकि उस समय परियोजना का स्वामित्व उन्हीं के पास था। उसके बाद यह परियोजना भारत सरकार के माध्यम से एन.एच.पी.सी. को दे दी गई थी। अतः इसके अनुमोदन की अभी तक प्रतीक्षा है। अनुमोदन और 78 लाख रुपए के ब्यौरे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास लंबित होने के कारण इसे देयता में नहीं दिया जा सका है। फिर भी 75.73 लाख रुपए की राशि फुटकर देयताओं में शामिल की गई है।

2. लाभ व हानि लेखा

i) मूल्यह्रास 2304.00 लाख रुपए

उपर्युक्त राशि में वर्ष 1992-93 के दौरान उपयोग में लाये गए विद्युत उत्पादन उपस्करों पर मूल्यह्रास के 877.00 लाख रुपए शामिल नहीं हैं क्योंकि कम्पनी की लेखा नीति सं. 2.3 (ii) के अनुसार उन पर मूल्यह्रास वर्ष 1993-94 के दौरान लगाया जाना था। इसके परिणामस्वरूप लाभ और मूल्यह्रास की कथित अधिविवरण में 877.00 लाख रुपए का अतिविवरण हुआ है।

2. i) लेखा नीति 2.3 (ii) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उत्पादन/ट्रांसमिशन और संचालन के लिए उपयोग में लाई गयी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास विद्युत (सप्लाई) अधिनियम, 1948 की धारा 68 की उप धारा 1 के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों को उपयोग में लाये जाने वाले वर्ष के बाद से जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार निर्धारित दरों पर सीधे तौर से चार्ज किया गया है। विद्युत आपूर्ति अधिनियम की विशेष गजट अधिसूचना तथा जी.एस.आर. 1331 (ई) के अनुसार मूल्यह्रास संबंधी प्रभारों के साथ-साथ परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आदि को उन परिसंपत्तियों को कार्य के लिए उपयोग में लाये जाने वाले वर्ष के बाद से लेखे में दर्शाया जाना चाहिए। कार्य के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियों में वे

वाणिज्यिक गतिविधियां भी शामिल हैं जो केवल वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद भी की गई हैं।

टनकपुर परियोजना में दिनांक 1.4.1993 से वाणिज्यिक तौर पर उत्पादन शुरू हुआ था। भारतीय विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 तथा कम्पनी की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अनुसार चालू वर्ष में इस पर मूल्यह्रास देय नहीं था इसलिए इसे तब से नहीं लिया गया है। लेखापरीक्षा की दृष्टि से वर्ष के दौरान मूल्यह्रास लागू किए जाने पर कारपोरेशन के लाभ पर प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि दर में बने मूल्यह्रास की वसूली ग्राहकों से की जायेगी।

ii) ब्याज 7789.00 लाख रुपए

ब्याज की 7916.00 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है और 31 मार्च, 1994 तक सरकार के ऋणों पर देय ब्याज का हिसाब नहीं लगाया गया है। इसके परिणामस्वरूपप पूरी की गई परियोजनाओं के संबंध में 852.00 लाख रुपए का अतिविवरण और निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में आई.ई.डी.सी. में 7064.00 लाख रुपए तक का अधिविवरण हुआ है। (संदर्भ लेखा और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट — पैराग्राफ सं. 2 (ई) (3) में टिप्पणी सं. 6)।

(कंवल नाथ)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के मुख्य निदेशक
व पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 सितम्बर, 1994

ii) भारत सरकार के दिनांक 18 मार्च, 1980 के पत्र सं. 12/2/वित्त/79 में यह उल्लेख था कि केन्द्रीय सरकार की ऐसी कारपोरेशन, जिसमें अनेक परियोजनाएं शामिल हैं, को पावर सैक्टर फण्ड से इक्विटी और ऋण क्रमशः 1:1 में दिया जायेगा जिसमें इक्विटी पहले दी जायेगी। इस नीति के अनुसरण में कारपोरेशन की बैरास्यूल, लोकतक आदि जैसी विभिन्न परियोजनाएं ऋणों के लिए 1:1 के अनुपात के अन्तर्गत आती हैं। सरकार ने पूर्व नीति में कोई न तो परिवर्तन किया है और न ही पूर्वव्यापी ऋण को इक्विटी में बदलने पर प्रतिबंध ही लगाए हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कम्पनी की इक्विटी के लिए 1092.95 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे और योजना के पहले दो वर्षों में यानी 1992-93, 1993-94 में 654.95 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी कर दी थी। लेकिन प्रदत्त इक्विटी की समस्त राशि तकनीकी कारणों की वजह से समायोजित नहीं की जा सकती है। क्योंकि ऐसा करने पर प्राधिकृत पूंजी से प्रदत्त पूंजी अधिक हो जाती है। इस प्रकार कारपोरेशन द्वारा ऋण के भाग में आई.डी.सी. के 70.65 करोड़ रुपए की ब्याज की राशि न्यायोचित तरीके से नहीं दी गई थी। यह परियोजना लागत की अस्थाई मुद्रा स्फीति को दूर करने हेतु परिवर्तन के लिए थी क्योंकि यह लागत दर से जुड़ी हुई है और इसे अनुसूची-14 की टिप्पणी सं. 6 में दर्शाया गया है। इसके अनुसार कम्पनी ने पूर्वव्यापी पद्धति का अनुपालन किया है और यह भी उचित है कि सरकार ने एन.एच.पी.सी. और अन्य पावर सैक्टर की सरकारी कम्पनियों को पूर्व प्रचलित प्रणाली में परिवर्तन की अनुमति दी है/दे दी गई है।

8.52 करोड़ रुपए की राशि में निर्माण (1992-93) के 4.26 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है और शेष को दर समायोजन के लिये ध्यान में रखा गया है। अतः लाभ में अति विवरण नहीं हुआ है।

31 मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. के लेखों की भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा

1. वित्तीय स्थिति

नीचे दी गई सारणी में बड़े शीर्ष के अन्तर्गत कारपोरेशन की पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति संक्षेप में दी गई है:—

(रुपए लाखों में)

	1991-92	1992-93	1993-94
देयताएं			
क) i) प्रदत्त पूंजी	192241	225523	249908
ii) इक्विटी पूंजी में समंजन योग्य केन्द्रीय सरकार की निधियां	40012	37725	33340
ख) आरक्षित तथा अधिशेष :			
i) फ्री आरक्षित तथा अधिशेष	23357	23357	25716
ii) सौंपा गया आरक्षित	5765	9914	14109
ग) उधार :			
i) भारत सरकार से	56655	53175	51500
ii) विदेशी संस्थानों से	55520	71281	91745
iii) वित्तीय संस्थानों से	—	10000	40000
iv) बॉण्डों से	120346	126091	143713
v) अन्य	—	750	4600
vi) उपचित ब्याज और देय	7258	4574	12299
घ) चालू देयताएं और प्रावधान :	34380	29891	20990
कुल	535534	592281	687920
परिसंपत्तियां			
च) सकल ब्लॉक	148323	122933	160399
छ) घटाएं संचयी मूल्यह्रास	25174	26621	29124
ज) शुद्ध ब्लॉक	123149	96312	131275
झ) चालू पूंजीगत कार्य	269929	299404	314869
ट) निर्माण भंडार व पेशगियां	92703	102457	136818
ठ) चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां	49753	93795	104502
ड) विविध खर्चे (बट्टे खाते या समायोजित न किए जाने की सीमा तक)	—	313	456
कुल	535534	592281	687920
त) नियोजित पूंजी (ज+ट-घ)	131264	155642	202488
थ) शुद्ध मूल्य (क+ख) [ट] -ड)	255610	286292	308508
द) प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपया शुद्ध मूल्य	रु. 1.10	रु. 1.09	रु. 1.09

2. पूंजी संरचना

कारपोरेशन का ऋण इक्विटी अनुपात वर्ष 1991-92 व 1992-93 में 0.91:1 से बढ़कर 1993-94 में 1.07:1 हो गया।

3. नकदी व ऋणशोध क्षमता

क) कुल शुद्ध परिसंपत्तियों में चालू परिसंपत्तियों की प्रतिशतता 1991-92 में 9.29% से बढ़कर 1992-93 में 15.84% और 1993-94 में घटकर 15.20% हो गई।

ख) चालू देयताओं और प्रावधानों में चालू परिसंपत्तियों की प्रतिशतता, जो कि ऋणशोध क्षमता का एक मानदंड है, वर्ष 1991-92 में 119.49% से बढ़कर 1992-93 में 272.14% तथा 1993-94 में 313.92% हो गई।

ग) चालू देयताओं (प्रावधानों को छोड़कर लेकिन उपचित ब्याज व देयताएं मिलाकर) जो ऋणशोध क्षमता का एक अन्य मानदण्ड है, में द्रुत परिसंपत्तियों (विविध लेनदारियां, नकद व बैंक बैलेंस और ऋण व पेशगियां) की प्रतिशतता 1991-92 में 114.94%, 1992-93 में 266.38% और 1993-94 में 312.35% हो गई।

4. कार्यकारी पूंजी

कारपोरेशन की कार्यकारी पूंजी (चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां, घटा चालू देयताएं और प्रावधान) 31 मार्च, 1994 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर क्रमशः 8115 लाख रुपए, 59330 लाख रुपए और 71213 लाख रुपए थी। कार्यकारी पूंजी में बिक्री की प्रतिशतता 1991-92 में 300.60%, 1992-93 में 30.15% और 1993-94 में 33.21% थी।

5. निधियों के स्रोत और उपयोग

99818 लाख रुपए की निधियां आंतरिक और बाह्य स्रोतों से ली गईं और वर्ष के दौरान उनका उपयोग नीचे दिए अनुसार किया गया :—

		(रुपए लाखों में)
संचालन से प्राप्त निधियां		
क) लाभ	7054	
जोड़ें — मूल्यह्रास	2503	9557
ख) पूँजी में वृद्धि		20000
ग) ऋण में वृद्धि		70261
कुल		99818
निधियों का उपयोग		
क) पूँजीगत कार्य प्रगति पर और निर्माण स्टोर व पेशगियों सहित स्थिर परिसम्पत्तियों में वृद्धि		87292
ख) कार्यकारी पूँजी में वृद्धि		
जोड़ें : चालू परिसंपत्तियों, ऋण व पेशगियां	10707	
जोड़ें : चालू देयताओं और प्रावधानों (अंशदान को छोड़कर) में कमी	1676	
ग) विविध खर्च (पूंजी) में वृद्धि		12383
		143
कुल		99818

6. कार्यकारी परिणाम :

31 मार्च, 1994 को समाप्त कारपोरेशन के पिछले तीन वर्षों के परिणाम नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	बिक्री	लाभ	बिक्री	लाभ की प्रतिशतता		
				नियोजित पूंजी	इक्विटी पूंजी	शुद्ध मूल्य
1991-92	24394	4930	20.2%	3.8%	2.1%	1.9%
1992-93	17890	4149	23.2%	2.7%	1.6%	1.4%
1993-94	23647	7054	29.8%	3.5%	2.5%	2.3%

7. मालसूची

31 मार्च, 1994 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर भण्डार व कलपुर्जों तथा अतिरिक्त औजारों की कीमत क्रमशः 1894 लाख रुपए, 1988 लाख रुपए और 2085 लाख रुपए थी।

8. विविध देनदार

31 मार्च, 1994 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के विविध देनदार तथा बिक्री सम्बन्धी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(रुपए लाखों में)

तारीख को	विविध देनदार			बिक्री	बिक्री में देनदारों की प्रतिशतता
	कंसीडर्ड गुड	कंसीडर्ड संदेहजनक	कुल		
31 मार्च, 1992	19866	4171	24037	24394	99%
31 मार्च, 1993	19179	6542	25721	17890	144%
31 मार्च, 1994	25080	9323	34403	23647	145%

(कंवल नाथ)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के मुख्य निदेशक
व पदेन-सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 सितम्बर, 1994

कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के तहत अपेक्षित सूचना

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रूपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
क. उन कर्मचारियों के ब्यौरे जिन्होंने पूरे वित्तीय वर्ष कार्य किया और जिनका पारिश्रमिक पूरे वर्ष 1,44,000/- रूपए से कम नहीं था।						
सर्वश्री						
अग्रवाल, एस.के. वरिष्ठ प्रबंधक	1,47,406	नियमित	बी. टैक (इलै.) पी.जी. डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (21 वर्ष)	13.06.80	47	मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा
अप्पाराव, वाई.एन. मुख्य इंजीनियर	1,54,516	नियमित	बी.ई. (सिविल) एम.ई. (हाइड्रो पावर) (25 वर्ष)	01.08.77	49	सहायक इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग
बाल मुकुन्द मुख्य इंजीनियर	1,45,001	नियमित	बी.एस.सी., इंजी., (मैक.) (23 वर्ष)	16.12.78	45	सहायक इंजीनियर, ई.आई.एल.
बंदोपाध्याय, एम.आर. प्रमुख	1,91,250	नियमित	एम.एस.सी. (एप्लाइड जियोलॉजी) (32 वर्ष)	29.12.80	58	जियोलॉजिस्ट (वरिष्ठ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण
बैनर्जी, पी.पी. प्रमुख	1,45,264	नियमित	बी. कॉम., ए.आई.सी.डब्ल्यू.ए. (32 वर्ष)	10.04.84	56	मुख्य लेखाकार, सादिक इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग कं., यू.ए.ई.
भारद्वाज, एस.आर. प्रमुख	1,67,057	नियमित	एम.ए. (इंग्लिश), डिप्लोमा इन जर्नेलिज़्म, डिप्लोमा इन मार्किटिंग एण्ड सेल्स मैनेजमेंट (33 वर्ष)	11.09.81	51	जन संपर्क अधिकारी, नेशनल फर्टिलाइजर लि.
बृजेश कुमार प्रमुख	1,77,268	नियमित	एम.ए. (राजनीतिशास्त्र), एम.ए. (एल.एस.डब्ल्यू.), (बी.एल.) (28 वर्ष)	12.07.78	56	कार्मिक अधिकारी, बोकारो स्टील लिमिटेड
ब्रिजेन्द्र शर्मा मुख्य इंजीनियर	1,55,809	नियमित	बी. टैक. (सिविल), एम. टैक. (सॉयल मैक. एण्ड फाउंडेशन इंजी.) (30 वर्ष)	18.07.81	53	अनुसंधान इंजीनियर, इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कार्लसरूह (पश्चिमी जर्मनी)
बुनेट, ए.आई. निदेशक (कार्मिक)	1,62,652	सरकारी नियुक्ति	बी.ए. (ऑनर्स), पी.जी. (ऑनर्स) डिप्लोमा आई.आर. एण्ड वेल्फेयर, एल.एल.बी. (25 वर्ष)	31.03.93	52	महाप्रबंधक, पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड
चन्द्रशेखरन ए. वरिष्ठ प्रबंधक	1,55,862	नियमित	बी.ई. (सिविल) (24 वर्ष)	20.11.78	49	सहायक इंजीनियर, लोकनिर्माण विभाग, मद्रास
चौहान, एस.एस. मुख्य इंजीनियर	1,47,034	नियमित	डिग्री इन सिविल इंजी. (29 वर्ष)	19.03.79	51	भारतीय सेना में मेजर
डिवेटिया, ई. (कु.) निदेशक (तकनीकी)	2,09,071	सरकारी नियुक्ति	बी.ई. (सिविल), एम. टैक., (स्ट्रक्ट.) (35 वर्ष)	22.03.79	57	उप निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग
गर्ग, एम.पी. प्रबंधक	1,54,154	नियमित	बी.ई. (सिविल) (27 वर्ष)	24.09.85	49	कार्यप्रभारी अधीक्षण इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड
गंगोपाध्याय, ए.के. मुख्य इंजीनियर	1,70,286	नियमित	बी.ई. (सिविल) (28 वर्ष)	10.09.81	48	कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, गोवा, दमन व दियू सरकार, पणजी
गुप्ता, जी.सी. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1,49,444	नियमित	एम.बी.बी.एस. (24 वर्ष)	24.04.81	47	भारतीय सेना में मेजर
गुप्ता, एम.एल. महाप्रबंधक	1,62,715	नियमित	बी.एस.सी., इंजी. (मैक.) (26 वर्ष)	29.04.80	49	उप प्रबंधक, बी.एच.ई.एल.
गुप्ता, वी.के. वरिष्ठ प्रबंधक	1,55,175	नियमित	बी.ई. (ऑनर्स) (सिविल) (29 वर्ष)	10.05.78	50	उपनिदेशक, सी.एच.ई.पी.सी. बोर्ड
गुप्ता आर.सी. वरिष्ठ प्रबंधक	1,52,643	नियमित	बी.ई. (मैक.) (23 वर्ष)	10.08.77	50	कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, जम्मू व कश्मीर
गोथरा, जी.एस. मुख्य इंजीनियर	1,56,823	नियमित	डिग्री इन इंजी. (सिविल) एल.एलबी. (30 वर्ष)	12.03.79	57	भारतीय सेना में मेजर

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
गुलाटी, विनोद प्रमुख	2,04,654	नियमित	ए.एम.आई.ई. (मैक.), पी.जी. इन इलै., मैक. इंजी., डिप्लोमा इन एडव.डब्ल्यू.एस., डिप्लोमा इन ई.डी.पी., पी.जी. डिप्लोमा इन पी.एम. एण्ड आई.आर. (27 वर्ष)	01.03.80	47	भारतीय सेना में मेजर
हाशिया, एम.एल. मुख्य इंजीनियर	1,78,519	नियमित	बी.ई. (सिविल) (34 वर्ष)	23.07.81	57	कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, जम्मू व कश्मीर
जैन, ए.के. महाप्रबंधक	1,71,156	नियमित	बी.कॉम., ए.सी.ए. (24 वर्ष)	28.11.78	48	उप लेखा प्रबंधक, इफको, नई दिल्ली
जोगिन्द्र सिंह प्रमुख	1,75,333	नियमित	एम.एस.डब्ल्यू., एल.एलबी. (23 वर्ष)	10.05.78	48	कार्मिक व श्रम कल्याण अधिकारी, पंजाब स्कूटर्स लि.
कंजलिया, वी.के. मुख्य इंजीनियर	1,64,720	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी.) (इलै.), एम.एस.सी. (इंजी.) (23 वर्ष)	08.05.79	48	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड
खर, पी.एन. कार्यपालक निदेशक	1,76,842	नियमित	बी.ई. (सिविल), एम.ई.आई., एम.आई.ए.एच.आर., एम.ए.आई.आई. (38 वर्ष)	15.05.78	58	अधीक्षण इंजीनियर, सलाल जल विद्युत परियोजना, भारत सरकार
खजांची आर.एन. मुख्य इंजीनियर	1,55,960	नियमित	बी.ई. (सिविल) (29 वर्ष)	03.09.83	52	कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, जम्मू व कश्मीर
कृष्ण मोहन, प्रमुख	1,82,755	नियमित	एम.ए. (श्रम व समाज कल्याण) (30 वर्ष)	05.06.78	56	उप प्रबंधक (कार्मिक), भारत कोकिंग कोल लि.
कृष्णामूर्ति, एम. मुख्य इंजीनियर	1,78,446	नियमित	बी.ई. (इलै.), सीनियर डिप्लोमा इन जर्मन, डिप्लोमा इन रशियन (28 वर्ष)	29.06.81	54	उप प्रबंधक, एन.टी.पी.सी.
मंडल, आर.पी. मुख्य इंजीनियर	1,56,151	नियमित	बी.एससी. इंजी. (सिविल) (31 वर्ष)	16.11.79	54	कार्यपालक इंजीनियर, बार्डर रोड्स डिवेलपमेंट बोर्ड
मित्तल, एस.के. कार्यपालक निदेशक	1,85,388	नियमित	बी.ई. (इलै.) (34 वर्ष)	23.05.78	58	कार्यपालक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
मुरारी लाल मुख्य इंजीनियर	1,56,348	नियमित	बी.ई. (सिविल), एफ.आई.ई. (27 वर्ष)	22.10.81	53	कार्यपालक इंजीनियर, आई.डी.पी.एल.
नन्द गोपाल मुख्य इंजीनियर	1,75,802	नियमित	बी.ई. (सिविल), एम.ई. (स्ट्रक्चर्स) (27 वर्ष)	03.04.80	52	उप प्रबंधक, ओ.एस.पी. लि., तुंगभद्रा बांध
प्रसादा राव, पी.डी. महाप्रबंधक	1,53,294	नियमित	बी.ई. (ऑनर्स) (सिविल) (30 वर्ष)	23.06.80	54	उप निदेशक, केंद्रीय जल आयोग
रस्तोगी, वी.पी. मुख्य इंजीनियर	1,72,943	नियमित	ए.एम.आई.ई., डिप्लोमा इन इंड. एडमिन (36 वर्ष)	09.06.81	54	वरिष्ठ बिक्री प्रबंधक, त्रिवेणी स्टक्चरल्स लि.
रामामूर्ति, ए.आर. प्रमुख	1,72,200	नियमित	बी.ए., ए.आई.सी.डब्ल्यू.ए., ए.सी.एस. (40 वर्ष)	11.08.78	57	वरिष्ठ सहायक प्रबंधक, एफ.सी.आई.
रामा राव, के. वरिष्ठ प्रबंधक	1,53,407	नियमित	बी.ई. (सिविल) (22 वर्ष)	13.03.80	48	अतिरिक्त सहायक निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग
शर्मा, पी.डी. मुख्य इंजीनियर	1,65,675	नियमित	ए.एम.आई.ई., डिप्लोमा इन इलै. इंजी, एल.एल.बी., एफ.आई.ई. (30 वर्ष)	29.08.77	50	सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
शर्मा, आर.के. मुख्य इंजीनियर	1,77,720	नियमित	बी.ई. (इलै.), पी.जी. डिप्लोमा इन इलै. इंजी., डिप्लोमा इन मार्किटिंग मैनेजमेंट (25 वर्ष)	31.08.78	50	सहायक इंजीनियर, ब्यास परियोजना
सिंह, आर.डी.पी. मुख्य इंजीनियर	1,69,583	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (सिविल) (27 वर्ष)	21.03.79	52	भारतीय सेना में मेजर
सुब्रामनि, सी.जी. कार्यपालक निदेशक	1,78,720	नियमित	बी.ई. (सिविल), एम.आई.ई. (33 वर्ष)	03.10.79	56	कार्यपालक इंजीनियर, बार्डर रोड्स विभाग

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
सिन्हा, बी.एस.पी. महाप्रबंधक	1,87,858	नियमित	बी.ए., एम.आई.एम.एम., (यू.के.) (30 वर्ष)	03.06.81	54	प्रबंधक बी.एच.ई.एल.
वर्मा, डी पॉल मुख्य इंजीनियर	1,64,227	नियमित	बी.एससी. (इंजी.) (सिविल) (27 वर्ष)	09.08.76	53	एस.डी.ओ., पंजाब लोक निर्माण विभाग (सिंचाई)
वोहरा, के.के. निदेशक (वित्त)	2,30,561	सरकारी नियुक्ति	बी.ए. (ऑनर्स), डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन ओ. एण्ड एम. एफ.आई.सी.डब्ल्यू.ए., जी.डी.सी.एस., एफ.सी.एस., एफ.आई.ए.एम., एफ.आई.बी.एम., (लंदन) (26 वर्ष)	31.12.92	57	कार्यपालक निदेशक (वित्त) बालको, नई दिल्ली
यादवेन्द्रा, आर.के. मुख्य इंजीनियर	1,67,682	नियमित	एम.एस.सी. (मैक. इंजी.), एम.बी.ए. (28 वर्ष)	01.01.82	53	उप निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय (एस.एस.एस.आई.)
योगेन्द्र प्रसाद कार्यपालक निदेशक	1,64,269	नियमित	बी.एससी. इंजी. (इलै.) (25 वर्ष)	10.05.78	49	सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड
विश्वनाथन, एन. महाप्रबंधक	1,88,735	नियमित	एम.ई. (सिविल), (पावर इंजी.) (30 वर्ष)	17.09.79	54	सहायक मुख्य इंजीनियर त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.
राव, पी.एल. मुख्य इंजीनियर	1,80,821	नियमित	ए.एम.आई.ई., डिप्लोमा इन बिज़नेस मैनेजमेंट एण्ड इंड. एडमिन. (34 वर्ष)	12.03.81	55	डिविज़नल इंजीनियर, रिहैबिलिटेशन रेक्लेमेशन आर्गेनाइज़ेशन, रिहैबिलिटेशन विभाग, भारत सरकार
रॉबर्टसन, जे.एच. वरिष्ठ प्रबंधक	1,57,571	नियमित	बी.ई. (मैक.) (25 वर्ष)	11.10.78	48	सहायक डिविज़नल इंजीनियर, तमिलनाडु बिजली बोर्ड

ख. उन कर्मचारियों का ब्यौरा जिन्होंने आंशिक वित्तीय वर्ष के लिए काम किया और जिनका पारिश्रमिक 12,000/- रुपए प्रतिमास से कम नहीं था ।

सर्वश्री						
नागभूषण, के.एम. महाप्रबंधक	2,62,141	नियमित	बी.ई. सिविल) (37 वर्ष)	31.03.80	60	उप निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग
मल्होत्रा, एस.पी. वरिष्ठ प्रबंधक	2,06,141	नियमित	बी.ए. (ऑनर्स) (38 वर्ष)	30.04.77	58	निजी सचिव, विद्युत मंत्रालय
भामरा, एस.एस. प्रबंधक	1,65,810	नियमित	ए.एम.आई.ई. (इलै.) (29 वर्ष)	13.08.77	58	परियोजना इंजीनियर, बी.एस.एल. परियोजना
शर्मा, ओ.पी. महा प्रबंधक	54,135	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी.) (सिविल) (32 वर्ष)	15.06.78	56	कार्यपालक इंजीनियर, सलाल जल विद्युत परियोजना
रामन, एन.वी. कंपनी सचिव व महा प्रबंधक	35,254	नियमित	बी.ए. एल.एलबी., जी.डी.सी.एस., ए.सी.एस., आई.सी.डब्ल्यू.ए. (इंटर) डिप्लोमा इन लेबर लॉज़ (36 वर्ष)	15.12.78	57	उप कंपनी सचिव, इंजीनियर्स इंडिया लि.
कोछड़, जे.एन. महा प्रबंधक	1,40,748	नियमित	बी.ए. (34 वर्ष)	10.03.81	58	सिविलियन अधिकारी, ग्रेड-I, डी.जी. बार्डर रोड्स का कार्यालय
नायडू, बी.एस.के. मुख्य इंजीनियर	1,60,303	नियमित	बी.ई. (ऑनर्स) (मैक.) एम. टैक. (हाइडल) एम.आई.ए.एच.आर. (24 वर्ष)	28.02.82	52	प्रबंधक, बी.एच.ई.एल.
सूरी, बी.एल. मुख्य इंजीनियर	94,075	नियमित	बी.एस.सी., इंजी. (इलै.), पी.जी. डिप्लोमा इन बिज़नेस मैनेजमेंट (35 वर्ष)	12.07.82	58	अधीक्षण इंजीनियर (इलै.) पी.डी.डी., जम्मू व कश्मीर

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
साईराम, टी.वी. कार्यपालक निदेशक	50,386	प्रतिनियुक्ति पर	एम.ए. (इको.), एम.एससी. (बॉटनी), एम. फिल. (सोशियल साइंस), एम.डी.पी.ए. (पब्लिक एडमिन.), डी.एल.एफ. (फ्रेंच), डी.आई.एम. (इंटरनेशनल मार्केटिंग), डी.आई.आई.ए.पी. (इंट. इकोनॉमिक्स) (24 वर्ष)	01.12.93	48	कलेक्टर, केन्द्रीय सीमा शुल्क (अपील)

टिप्पणियाँ :

(1) उपरोक्त कर्मचारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्थों की दृष्टि से निगम के किसी निदेशक के संबंधी नहीं हैं।

(2) नौकरी की शर्तें वही हैं जो समय-समय पर यथास्थिति, कारपोरेशन पर लागू सरकारी नियम एवं अधिनियमों द्वारा निर्धारित होती हैं।

(3) उपरोक्त सूची में निर्दिष्ट पदनाम कर्मचारियों द्वारा की गई ड्यूटियों के प्रकार को दर्शाते हैं।

(4) (क) "पारिश्रमिक" में ये बातें शामिल हैं — कारपोरेशन द्वारा लीज़ पर लिए गए आवास की लागत, जहां लागू हो, भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान इत्यादि।

(ख) ग्रेच्युटी राशि को लेखे में नहीं लिया गया है क्योंकि यह अनुमानित आधार पर है।

(ग) विदेश में तैनात कर्मचारियों के मामले में पारिश्रमिक में विदेशी भत्ता आदि भी शामिल है।

(5) उपर्युक्त कर्मचारियों में से, चाहे वे पूरे वित्त वर्ष या उसके भाग के लिए कार्यरत रहे और औसत पारिश्रमिक उसी हिसाब से, या जैसा भी मामला हो, लेते रहे जो प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक द्वारा लिया गया था, औसतन से अधिक है। यह उनके या उनके पति/पत्नी या आश्रित बच्चों सहित लिए गए कारपोरेशन के इक्विटी शेयरों के दो प्रतिशत से कम नहीं था।

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
साईराम, टी.वी. कार्यपालक निदेशक	50,386	प्रतिनियुक्ति पर	एम.ए. (इको.), एम.एससी. (बॉटनी), एम. फिल. (सोशियल साइंस), एम.डी.पी.ए. (पब्लिक एडमिन.), डी.एल.एफ. (फ्रैंच), डी.आई.एम. (इंटरनेशनल मार्केटिंग), डी.आई.आई.ए.पी. (इंट. इकोनॉमिक्स) (24 वर्ष)	01.12.93	48	कलेक्टर, केन्द्रीय सीमा शुल्क (अपील)

टिप्पणियाँ :

(1) उपरोक्त कर्मचारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्थों की दृष्टि से निगम के किसी निदेशक के संबंधी नहीं हैं।

(2) नौकरी की शर्तें वही हैं जो समय-समय पर यथास्थिति, कारपोरेशन पर लागू सरकारी नियम एवं अधिनियमों द्वारा निर्धारित होती हैं।

(3) उपरोक्त सूची में निर्दिष्ट पदनाम कर्मचारियों द्वारा की गई ड्यूटियों के प्रकार को दशाते हैं।

(4) (क) "पारिश्रमिक" में ये बातें शामिल हैं — कारपोरेशन द्वारा लीज़ पर लिए गए आवास की लागत, जहां लागू हो, भविष्य निधि में नियोक्त का अंशदान इत्यादि।

(ख) ग्रेच्युटी राशि को लेखे में नहीं लिया गया है क्योंकि यह अनुमानित आधार पर है।

(ग) विदेश में तैनात कर्मचारियों के मामले में पारिश्रमिक में विदेशी भत्ता आदि भी शामिल है।

(5) उपर्युक्त कर्मचारियों में से, चाहे वे पूरे वित्त वर्ष या उसके भाग के लिए कार्यरत रहे और औसत पारिश्रमिक उसी हिसाब से, या जैसा भी मामला हो, लेते रहे जो प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक द्वारा लिया गया था, औसतन से अधिक है। यह उनके या उनके पति/पत्नी या आश्रित बच्चों सहित लिए गए कारपोरेशन के इक्विटी शेयरों के दो प्रतिशत से कम नहीं था।

वरिष्ठ कार्यपालकगण

कार्यपालक निदेशकगण

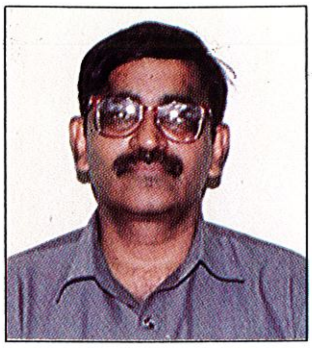
श्री टी.वी. साईराम

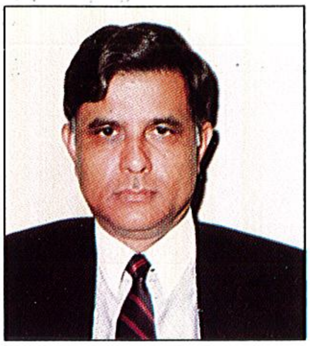
श्री योगेन्द्र प्रसाद

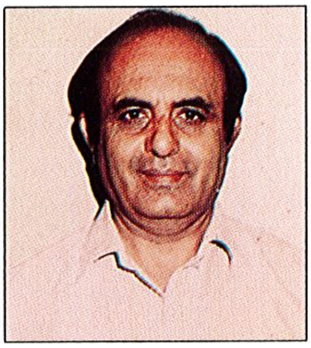
श्री सी. जी. सुब्रामणि

महाप्रबंधकगण

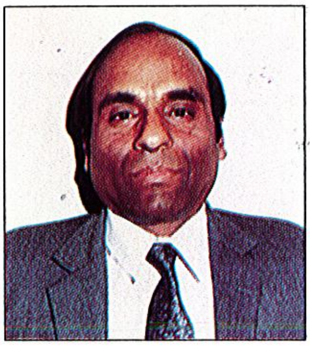
श्री ए.के. जैन

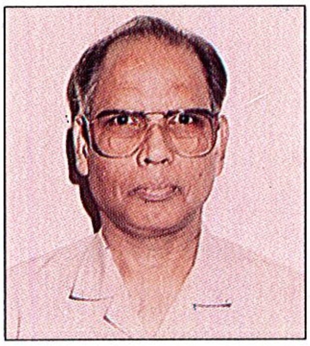
श्री बी.एस.पी. सिन्हा

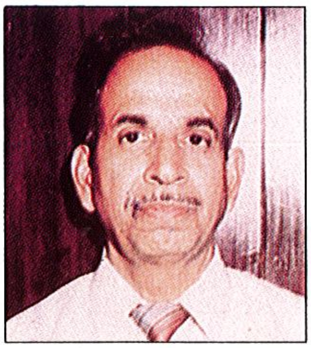
श्री एन. विश्वनाथन

श्री पी.डी. प्रसादाराव

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : हेमकुण्ट टावर, 98, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली-110 019

इम्पैक्ट एडवरटाइज़िंग द्वारा अभिकल्पित एवं मायर प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।